[2020] 8 एस. सी. आर. 222

अर्णब रंजन गोस्वामी

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2020 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 130)

19 मई, 2020

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

एम. आर. शाह, जे. जे.]

भारत का संविधानः

कलाएँ। 19 (1) (क), 19 (2) और 32-रिट याचिका-एस. एस. के प्रावधानों के तहत दायर विभिन्न एफ. आई. आर. को रद्द करने की मांग। 153 , 153 ए, 153 बी, 295 ए, 298,500,504 और 506 आई. पी. सी. एक मीडिया पत्रकार के खिलाफ

आयोजित किया गयाः सभी एफ. आई. आर. या शिकायतें विभिन्न मामलों में दर्ज की गई हैं।

कार्रवाई के एक ही कारण से उत्पन्न होने वाले क्षेत्राधिकार यानी किसी कार्यक्रम का प्रसारण-पत्रकारिता की स्वतंत्रता कला द्वारा संरक्षित है। 19 (1) (क) एक पत्रकार के बोलने और अभिव्यक्ति का अधिकार यू/आर्ट। 19 (1) (क) नागरिक के ऐसे अधिकार से अधिक नहीं है-यह प्रतिबंध के लिए उत्तरदायी है।

हालांकि, मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध होना चाहिए। आनुपातिकता मानक अर्थात अपनाए गए उपाय के अनुरूप

वैध उद्देश्य को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए कम से कम प्रतिबंधात्मक होना चाहिए

- एक व्यक्ति को विभिन्न मामलों में कई कार्यवाहियों के अधीन करना

कार्रवाई के एक ही कारण के आधार पर अधिकार क्षेत्र को कम से कम प्रतिबंधात्मक नहीं कहा जा सकता है-इसलिए, मुंबई में एक प्राथमिकी को छोड़कर, अन्य सभी

एफ. आई. आर. एस. जो एक ही घटना के संबंध में हैं, उन्हें रद्द कर दिया जाता है क्योंकि वे

कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग-रिट याचिका नहीं है

मुंबई में एफ. आई. आर. को रद्द करने की राहत के संबंध में मनोरंजन के रूप में

सी. आर. के तहत प्रभावी उपचार उपलब्ध हैं। पी. सी. सहित उच्च न्यायालय यू/एस के समक्ष उपचार। 482 क्र. पी. सी

जाँचः

जाँच का हस्तांतरण-स्थानीय पुलिस से सी. बी. आई.-आयोजितः

सी. बी. आई. को जाँच का हस्तांतरण कोई नियमित बात नहीं है-यह एक

' असाधारण शक्ति 'का उपयोग' संयम से 'और' असाधारण रूप से 'किया जाना है

परिस्थितियाँ '-पुलिस के खिलाफ केवल आरोप नहीं होते हैं हस्तांतरण के लिए पर्याप्त आधार-इसे बनाए रखना 'अनिवार्य' होना चाहिए।

राज्य एजेंसियों के निष्पक्ष कामकाज में जनता का विश्वास मोड के संबंध में जांच के तहत व्यक्ति द्वारा आरोप,

222 अर्णब रंजन गोस्वामी बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

पूछताछ का तरीका और तरीका और जांच करने वाली पुलिस के खिलाफ हितों के टकराव का अप्रमाणित आरोप, जांच को स्थानांतरित करने का आधार नहीं हो सकता है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

एस। 199 – मानहानि के लिए अभियोजन-आयोजितः मानहानि के संबंध में न तो प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है और न ही निर्देश जारी किया जा सकता है। यू/एस। 156 (3) क्र. पी. सी.-यह केवल एक शिकायत है जिसे पीड़ित व्यक्ति द्वारा दर्ज किया जा सकता है।

रिट याचिकाओं का निपटारा, न्यायालय

पकड़नाः 1.1 . मूल आधार जिसके आधार पर

इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को अनुच्छेद 32 के तहत लागू किया गया है, जिसमें कार्रवाई के एक ही कारण से विभिन्न राज्यों में कई प्राथमिकियां और शिकायतें दर्ज की गई हैं। विभिन्न क्षेत्राधिकारों में दर्ज की गई सभी प्राथमिकियां या शिकायतें एक ही घटना से उत्पन्न होती हैं-याचिकाकर्ता द्वारा 21 अप्रैल 2020 को आर भारत पर प्रसारित। प्रसारण इस आरोप का आधार है कि प्रावधानों के तहत अपराध किए गए हैं

आई. पी. सी. की धारा 153,153 ए, 153 बी, 295 ए, 298,500,504 और 506। कई शिकायतों को समान शब्दों में लिखा गया है और

इसमें कोई संदेह नहीं है कि 21 अप्रैल 2020 को प्रसारित कार्यक्रम के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों में कार्रवाई के कारण की पहचान निहित है। इसके अलावा, पैराग्राफ की भाषा, विषय-वस्तु और अनुक्रमण और उनकी संख्या समान है। [पैरा 28 और 31] [252-सी; 256 ए-सी]

1.2 संविधान का अनुच्छेद 32 मान्यता प्रदान करता है।

नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए इस न्यायालय को सौंपा गया संवैधानिक कर्तव्य। पत्रकारिता की स्वतंत्रता का प्रयोग अनुच्छेद 19 (1) (ए) द्वारा संरक्षित भाषण और अभिव्यक्ति के मूल में निहित है। याचिकाकर्ता एक मीडिया पत्रकार है। टेलीविजन शो पर विचारों का प्रसारण जो वह होस्ट करते हैं, उनके अभ्यास में है

अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार। देश की स्वतंत्रता तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक पत्रकार प्रतिशोध की धमकी से शांत हुए बिना सत्ता से बात कर सकते हैं। उस मौलिक अधिकार का प्रयोग निरपेक्ष नहीं है और [2020] 8 एस. सी. आर. के संदर्भ में अधिनियमित कानूनी व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी है।

अनुच्छेद 19 (2) के प्रावधान। लेकिन एक पत्रकार को कई शिकायतों के अधीन होने और उपचार की खोज करने की अनुमति देने के लिए एक ही आधार वाली लगातार एफ. आई. आर. एस. और शिकायतों का सामना करने पर कई राज्यों और क्षेत्राधिकारों का उस स्वतंत्रता के प्रयोग पर दमनकारी प्रभाव पड़ता है। यह देश में शासन के मामलों के बारे में जानने की नागरिक की स्वतंत्रता और एक सूचित समाज सुनिश्चित करने के लिए पत्रकार के अधिकार को प्रभावी ढंग से नष्ट कर देगा। अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत एक पत्रकार का अधिकार नागरिक के बोलने और व्यक्त करने के अधिकार से अधिक नहीं है। लेकिन एक समाज के रूप में यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं हो सकता है। स्वतंत्र नागरिक तब अस्तित्व में नहीं रह सकते जब समाचार मीडिया को एक स्थिति का पालन करने के लिए जंजीरों से बांध दिया जाता है। [पैरा 32] [256-ई-जी; 257-ए]

1.3 यह दृढ़ता से स्थापित है कि मौलिक अधिकारों पर किसी भी उचित प्रतिबंध को आनुपातिकता के अनुरूप होना चाहिए।

मानक, जिसका एक घटक यह है कि अपनाया गया उपाय वैध राज्य उद्देश्य को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए कम से कम प्रतिबंधात्मक उपाय होना चाहिए। कार्रवाई के एक ही कारण के आधार पर विभिन्न न्यायालयों में उत्पन्न होने वाली कई कार्यवाहियों के लिए एक व्यक्ति को अधीन करना अपराध का मुकदमा चलाने में वैध राज्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कम से कम प्रतिबंधात्मक और प्रभावी तरीके के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से याचिकाकर्ता को केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर के अलावा कई राज्यों में समान आधार पर कई प्राथमिकियों के अधीन किया गया है

एक ही टेलीविजन शो से उत्पन्न होने वाले आरोप चले जाएंगे

रद्द करने के लिए अधिकार क्षेत्र होने के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के लिए कई कार्यवाहियां और अनावश्यक उत्पीड़न होगा, जो एक पत्रकार है। [पैरा 33] [257-बी-ई]

1.4 हालाँकि, याचिकाकर्ता, अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए, पुलिस स्टेशन सदर से स्थानांतरित की गई एफ़. आई. आर. की जाँच से मुक्त नहीं है।

मुंबई में जिला नागपुर शहर से एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन। इस संतुलन को एक के अभ्यास के बीच खींचा जाना चाहिए

अनुच्छेद 19 (1) (ए) और जांच अर्नब रंजन गोस्वामी बनाम के तहत मौलिक अधिकार।

भारत और ओआरएस का संघ।

सी. आर. पी. सी. के तहत अपराध के लिए। एक ही घटना के संबंध में अन्य सभी प्राथमिकियां प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग हैं और इन्हें रद्द किया जाना चाहिए। हालाँकि, 22 अप्रैल 2020 की 2020 की एफ. आई. आर. 238 के संबंध में जांच को खुला छोड़ते हुए, पुलिस स्टेशन सदर, जिला नागपुर शहर से एन. एम. जोशी मार्ग स्थानांतरित कर दिया गया। मुंबई में पुलिस स्टेशन। [पैरा 31 और 34] [256-डी; 257-एफ-एच]

टी टी एंटनी बनाम केरल राज्य (2001) 6 एस. सी. सी. 181: [2001] 3 एस. सी. आर. 942; उपकार सिंह बनाम वेद प्रकाश (2004) 13 एस. सी. सी. 292; राम लाल नारंग बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन)

(1979) 2 एससीसी 322: [1979] 2 एससीआर 923; कारी चौधरी बनाम एमएसटी। सीता देवी (2002) 1 एससीसी 714: [2001] 5 पूरक। एस. सी. आर. 588; बिहार राज्य बनाम जे. ए. सी. सल्दान्हा (1980) 1 एस. सी. सी. 554 [1980] 2 एस. सी. आर. 16; बाबूभाई बनाम गुजरात राज्य (2010) 12 एस. सी. सी. 254: [2010] 10 एस. सी. आर. 651-निर्भर। चिर्रा शिवराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2010) 14 एस. सी. सी. 444: [2010] 15 एस. सी. आर. 673; पराग एम. पाठक बनाम डॉलीबेन कांतिलाल पटेल (2018) 1 एस. सी. सी. 330: [2017] 14

एस. सी. आर. 424-संदर्भित।

2. सी. आर. पी. सी. की धारा 199 अभियोजन के लिए निर्धारित करती है

मानहानि। आपराधिक मानहानि के मामले में न तो प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है और न ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत निर्देश जारी किया जा सकता है और यह केवल एक शिकायत है जिसे पीड़ित व्यक्ति द्वारा दर्ज किया जा सकता है। इसलिए, मुंबई के एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में जिस एफ. आई. आर. की जांच चल रही है, उसमें आपराधिक मानहानि के किसी भी कथित कार्य को शामिल नहीं किया गया है और न ही किया जा सकता है। [पैरा 45,46 और 47] [206-ई; 264-ई; 265-डी-ई]

3.1 अदालत के लिए इस उद्देश्य के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना अनुचित होगा।

मुंबई के एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में जांच के तहत 2020 की एफ. आई. आर. 164 को रद्द करने के लिए। याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण और संतुलन सीआरपीसी द्वारा शासित होते हैं। इस न्यायालय द्वारा अपने अंतरिम आदेश द्वारा 24 अप्रैल 2020 को याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता दिए जाने के बावजूद, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता ने उपलब्ध उपायों का अनुसरण नहीं किया।

कानून, लेकिन इसके बजाय इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने की मांग की। एफ. आई. आर. में निहित आरोप [2020] 8 एस. सी. आर. बनाते हैं या नहीं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जैसा कि आरोप लगाया गया है, किसी भी अपराध का निर्णय इसके अनुसरण में नहीं किया जाएगा

एफ. आई. आर. को रद्द करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय की अधिकारिता। याचिकाकर्ता को उपचार की खोज के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए

उच्च न्यायालय के समक्ष उपलब्ध प्रभावी उपचार। [पैरा 49] [266 जी-एच; 267-ए-बी] 3.2 यह नहीं माना जाना चाहिए कि अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका बनाए रखने योग्य नहीं है। लेकिन जब उच्च न्यायालय के पास शक्ति है

धारा 482 के तहत, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रक्रिया को पारित करने का कोई कारण नहीं है और अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार करने का कोई असाधारण आधार या कारण नहीं है। याचिका की विचारणीयता और उस पर विचार किया जाना चाहिए या नहीं, इसके बीच एक स्पष्ट अंतर है। वर्तमान मामले में ऐसी स्थिति में, यह न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार नहीं करना चाहेगा, जिसमें जांच की जा रही एफ. आई. आर. को रद्द करने की राहत के लिए कहा गया है। मुंबई में एन. एम. जोशी पुलिस स्टेशन जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है। इसलिए, याचिकाकर्ता को उन उपायों का लाभ उठाने के लिए निर्वासित किया जाना चाहिए जो उच्च न्यायालय सहित सक्षम अदालत के समक्ष सीआरपीसी के तहत उपलब्ध हैं। [पैरा 49] [267-सी डी]

4.1 जाँच सी. बी. आई. को हस्तांतरित करना कोई आम बात नहीं है। यह एक "असाधारण शक्ति" है जिसका उपयोग "संयम से" और "असाधारण परिस्थितियों में" किया जा सकता है। एक कारक जिस पर अदालतें विचार कर सकती हैं, वह यह है कि इस तरह का स्थानांतरण "राज्य एजेंसियों के निष्पक्ष कामकाज में जनता का विश्वास" बनाए रखने के लिए "अनिवार्य" है। हालांकि, पुलिस के खिलाफ केवल आरोप जांच को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। जाँच एजेंसी की नियुक्ति के मामले में अभियुक्त की कोई भूमिका नहीं है। [पैरा 36 और 37] [258-डी; 259-जी; 260-ए-बी]

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा समिति, पश्चिम बंगाल (2010) 3 एस. सी. सी. 571:

[2010] 2 एस. सी. आर. 979-अनुसरण किया गया।

केवी राजेंद्रन बनाम पुलिस अधीक्षक, सीबीसीआईडी दक्षिण

जोन, चेन्नई (2013) 12 एस. सी. सी. 480 [2013] 9 एस. सी. आर. 199; रोमिला थापर बनाम भारत संघ (2018) 10 एस. सी. सी. 753 [2018] 11 एस. सी. आर. 951; नर्मदा बाई बनाम गुजरात राज्य (2011) 5 एस. सी. सी. 79: [2011] 5 एस. सी. आर. 729; संजीव अर्णब रंजन गोस्वामी बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ।

राजेन्द्र भट्ट बनाम भारत संघ (2016) 1 एस. सी. सी. 1:

[2015] 12 एस. सी. आर. 498 ई. शिवकुमार बनाम भारत संघ

(2018) 7 एससीसी 365: [2018] 6 एस. सी. आर. 522; डिवाइन रिट्रीट

केंद्र बनाम केरल राज्य (2008) 3 एससीसी 542: [2008] 4 एससीआर 701-पर निर्भर।

4.2 याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया था और सहमति दी थी

जाँच एजेंसी जाँच के दौरान "स्थान, समय और प्रश्न और इस तरह के प्रश्न पूछने का तरीका" तय करने की हकदार है। अदालतों को जांच एजेंसियों को आवश्यक स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए चल रही जांच पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायपूर्ण जाँच करना। जाँच की अवधि या पूछताछ के दौरान याचिकाकर्ता और सी. एफ. ओ. को संबोधित प्रश्नों की प्रकृति जाँच को स्थानांतरित करने में भारी नहीं पड़ सकती है। जाँच एजेंसी है

प्रश्नों की प्रकृति और अवधि निर्धारित करने का अधिकार

पूछताछ करने के लिए। याचिकाकर्ता को एक दिन जांच के लिए बुलाया गया था। [अनुच्छेद 39,40 और 41] [261-बी-डी; 261-जी-एच; 262-ए-बी; 262-ई-एफ]

9 एससीसी 24: [2019] 12 एस. सी. आर. 172; बिहार राज्य बनाम पीपी शर्मा (1992) पूरक। 1 एससीसी 222: [1991] 2 एससीआर 1;

दुखिष्यम बेनुपानी, सहायक। निदेशक, प्रवर्तन [2020] 8 एस. सी. आर

निदेशालय (एफ. ई. आर. ए) बनाम अरुण कुमार बाजोरिया (1998) 1 एस. सी. सी. 52: [1997] 5 पूरक। एस. सी. आर. 566; निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम नियमवेदी, जिसका प्रतिनिधित्व इसकी सदस्य के. नंदिनी, अधिवक्ता (1995) 3 एस. सी. सी. 601 ने कियाः [1995] 3 एससीआर

196 – पर भरोसा किया।

4.3 याचिकाकर्ता का आरोप है कि घटना की पर्याप्त जांच करने में राज्य सरकार की कथित विफलता की उनके द्वारा की गई आलोचना से हितों का टकराव उत्पन्न हुआ है।

पालघर वैध नहीं है। पालघर घटना की जाँच मुंबई पुलिस के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर है। याचिकाकर्ता से 27 अप्रैल 2020 को पूछताछ की गई थी। उन्होंने पुलिस आयुक्त, मुंबई के खिलाफ जो आरोप लगाए थे, वे 28 अप्रैल 2020 को आर भारत पर 1900 बजे प्रसारित एक टेलीविजन कार्यक्रम के दौरान थे। जांच के किसी भी हस्तांतरण का आदेश केवल इसलिए नहीं दिया जा सकता है क्योंकि एक पक्ष ने स्थानीय पुलिस के खिलाफ कुछ आरोप लगाए हैं। तदनुसार, इस तरह के आरोप लगाना अपने आप में जांच के हस्तांतरण के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा। [पारस 41 और 42] [262-जी; 263-ए-सी]

4.4 शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया साक्षात्कार

आर भारत का प्रतिनिधि कानून में एक वैध आधार प्रस्तुत नहीं करता है।

इस निष्कर्ष के लिए कि जाँच दूषित है या जाँच को सी. बी. आई. को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। की सरकार महाराष्ट्र ने इस अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया है (डीसीपी, जोन-3 द्वारा पुष्टि की गई) जिसमें जांच एजेंसी को किसी भी दबाव, धमकी या जबरदस्ती से बचाने के लिए उचित निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता से "और उसे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अपने वैध कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाना। सोशल मीडिया पर आर भरत द्वारा ट्वीट किए गए विचारों के आधार पर, यह महाराष्ट्र पुलिस है जो अब याचिकाकर्ता के खिलाफ निरोधक आदेश का दावा कर रही है। जाँच एजेंसी ने रिकॉर्ड में वह रखा है जो उसे लगता है याचिकाकर्ता द्वारा सोशल मीडिया का सहारा लेकर और अपने द्वारा संचालित समाचार चैनलों का उपयोग करके जांच को बदनाम करने का प्रयास। सोशल मीडिया समाज में एक व्यापक उपस्थिति बन गया है। याचिकाकर्ता द्वारा किए गए ट्वीट्स और शिकायतकर्ता द्वारा साक्षात्कार को कानूनी रूप से गठित अपनी ए. आर. एन. ए. बी. रंजन गोस्वामी बनाम की जांच एजेंसी को विस्थापित करने के औचित्य के रूप में स्वीकार करना।

भारत और ओआरएस का संघ।

न्यायक्षेत्र और जाँच करने के कर्तव्य के संघीय ढांचे के लिए दूरगामी परिणाम होंगे। [पैरा 43] [263-सी-जी]

आपराधिक न्याय के प्रशासन की पवित्रता को सुनिश्चित करने के लिए असाधारण परिस्थितियाँ। हालांकि कोई लचीले दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए गए हैं, यह धारणा कि इस तरह का स्थानांतरण एक "असाधारण शक्ति" है जिसका उपयोग "संयम से" और "असाधारण परिस्थितियों में" किया जा सकता है, इस विचार के साथ मेल खाती है कि नियमित स्थानांतरण न केवल कानून के सामान्य पाठ्यक्रम में जनता के विश्वास पर विश्वास करेगा, बल्कि उन असाधारण स्थितियों को भी अर्थहीन बना देगा जो जांच को स्थानांतरित करने की शक्ति के प्रयोग की गारंटी देते हैं। अभिलेख पर सामग्री के साथ-साथ याचिकाकर्ता द्वारा आग्रह किए गए कथनों और प्रस्तुतियों को संतुलित और विचार करने के बाद, प्रकृति का कोई भी मामला जो परीक्षण के दायरे में नहीं आता है।

जाँच के हस्तांतरण के लिए इस न्यायालय के उदाहरणों में उल्लिखित किया गया है। [पैरा 44] [263-जी-एच; 264-ए डी]

सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ, विधि मंत्रालय (2016) 7 एस. सी. सी. 221: [2016] 3 एस. सी. आर. 865-पर निर्भर।

5. पायधोनी पुलिस स्टेशन (2020 की एफ. आई. आर. 137 दिनांक 2 मई 2020) में दर्ज की गई एफ. आई. आर. के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई बाद की रिट याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं है। जिस आधार पर इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को पहली रिट याचिका में लागू किया गया था-विभिन्न राज्यों में कई प्राथमिकियां दर्ज करना-बाद की रिट याचिका (सी. आर. एल.) में अनुपस्थित है। 2020 की डायरी संख्या 11189। याचिकाकर्ता एफ. आई. आर. के संबंध में कानून के तहत अपने उपायों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगा।

इस तरह के उपचार का सहारा लेने पर सक्षम न्यायालय द्वारा स्वयं विचार किया जाएगा। [पैरा 52] [268-बी-डी]

मामला कानून संदर्भ

[2001] 3 एससीआर 942

उस पर भरोसा करें

पै

रा 2

(2004) 13 एससीसी 292

उस पर भरोसा करें

पै

रा 2

[1979] 2 एस. सी. आर 923

उस पर भरोसा करें

पै

रा 2

[2001] 5 पूरक। एससीआर 588

उस पर भरोसा करें

पै

रा 2

[1980] 2 एससीआर 16

उस पर भरोसा करें

पै

रा 2

[2010] 10 एससीआर 651

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3

[2010] 15 एससीआर 673

संदर्भित किया गया है

पै

रा 3

[2017] 14 एससीआर 424

पै

रा 3

संदर्भित किया गया है

पै

रा 3

[2010] 2 एससीआर 979

पीछा किया।

उस पर भरोसा करें

[2013] 9 एससीआर 199

पै

रा 3

[2018] 11 एससीआर 951

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3

[2011] 5 एससीआर 729

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3

[2015] 12 एससीआर 498

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3

[2018] 6 एससीआर 522

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3

[2008] 4 एससीआर 701

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3

[2019] 12 एससीआर 172

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3

[1991] 2 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3

[1997] 5 पूरक। एससीआर 566

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3

[1995] 3 एससीआर 196

उस पर भरोसा करें

पै

रा 4

[2016] 3 एससीआर 865

उस पर भरोसा करें

पै

रा

आपराधिक मूल

न्यायनिर्णयः

पी

लिखें

(आपराधिक) 2020 की सं. 130।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

के साथ

डब्ल्यू. पी. (सीआरएल।) 2020 की डायरी संख्या 11189।

अर्णब रंजन गोस्वामी बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

तुषार मेहता, एस. जी., एस. सी. वर्मा, अधिवक्ता। जनरल मनोज कुमार सिंह,

अशोक बसोया, एएजी, हरीश साल्वे, सिद्धार्थ भटनागर, कपिल सिब्बल, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, डॉ. मनीष सिंघवी, के. वी. विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , साकेत शुक्ला, मृणाल ओझा, सुश्री मालविका त्रिवेदी, वसंत राजसेकरन, देबरशी दत्ता, रजत प्रधान, ईशान छाया, हर्षुल सिंह, सुश्री रेशमा रविपति, सुश्री प्रज्ञा बघेल, राहुल चिटनिस, सचिन पाटिल, वरुण के. चोपड़ा, अदित पुजारी, सुमीर सोधी, अशोक बसोया, वरुण तन्खा, वरुण चोपड़ा, अमन नंदराजोग, संदीप झा, सुमीर सोधी, एस. हरिहरन, सुश्री जयक्रिती सिंह जडेजा, रीपक कंसल, हरिशा एस. आर., अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

2020 की रिट याचिका (सी. आर. एल.) संख्या 130

1. याचिकाकर्ता एक अंग्रेजी टेलीविजन का प्रधान संपादक है।

समाचार चैनल, रिपब्लिक टीवी। वह एआरजी आउटलायर मीडिया एशियानेट न्यूज प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भी हैं, जो आर भारत के नाम से एक हिंदी टेलीविजन समाचार चैनल का स्वामित्व और संचालन करता है। याचिकाकर्ता दोनों चैनलों पर समाचार कार्यक्रमों की एंकरिंग करता है।

2. 16 अप्रैल 2020 को रिपब्लिक टीवी पर एक प्रसारण हुआ। यह

इसके बाद 21 अप्रैल 2020 को आर भारत पर एक प्रसारण किया गया। इन प्रसारणों के कारण याचिकाकर्ता के खिलाफ कई प्रथम सूचना रिपोर्ट 1 और आपराधिक शिकायतें दर्ज की गईं। उन्हें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में रखा गया है। महाराष्ट्र राज्य में, जिला नागपुर शहर के पुलिस स्टेशन सदर में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस एफ़. आई. आर. का विवरण इस प्रकार हैः

" महाराष्ट्र

पुलिस में 22 अप्रैल 2020 की 2020 की प्राथमिकी संख्या 238 दर्ज की गई स्टेशन सदर, जिला नागपुर शहर, महाराष्ट्र, धाराओं के तहत

153 , 153 - ए, 153-बी, 295-ए, 298,500,504 (2), 506,120-बी और 117

भारतीय दंड संहिता 1860 "। उपरोक्त एफ. आई. आर. के अलावा, चौदह अन्य एफ. आई. आर. और

याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया हैः

" • भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 153 ए, 295-ए और 505 (2) के तहत पुलिस स्टेशन सुपेला, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में 22 अप्रैल 2020 को 2020 की प्राथमिकी संख्या 245 दर्ज की गई।

• भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 153-ए, 188,290 और 505 (1) के तहत पुलिस स्टेशन भीलाल नगर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में दर्ज 2020 की प्राथमिकी संख्या 180, दिनांक 23 अप्रैल 2020। • भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 153-ए, 295-ए और 505 (2) के तहत पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ में 22 अप्रैल 2020 को 2020 की प्राथमिकी संख्या 176 दर्ज की गई।

जिला कांग्रेस समिति द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 2020 की शिकायत-अंतग्रह, कांकेर, छत्तीसगढ़।

• दुर्ग जिला कांग्रेस समिति के प्रीतम देशमुख (अधिवक्ता) द्वारा 22 अप्रैल 2020 को एस. एच. ओ. शहर पी. एस. दुर्ग को शिकायत,

छत्तीसगढ़।

सूरज सिंह ठाकुर, राज्य द्वारा दिनांक 22 अप्रैल 2020 को शिकायत

•

उपाध्यक्ष, भारतीय युवा कांग्रेस-वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, पराग नगर, घाटकोपर पूर्व, मुंबई। ● शिकायत दिनांक 22 अप्रैल 2020-पंकज प्रजापति (कांग्रेस के पार्टी कार्यकर्ता और पूर्व प्रवक्ता एनएसयूआई) वकील अंशुमन श्रीवास्तव के माध्यम से-पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा, इंदौर, मध्य प्रदेश।

22 अप्रैल 2020 की शिकायत-बलराम जाखड़ (अधिवक्ता)-जयपुर में पीएस श्याम नगर को धारा 153,188,505,120 बी के तहत।

तेलंगाना युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव द्वारा तेलंगाना में 22 अप्रैल 2020 को एस. एच. ओ. हुसैनी को शिकायत आलम-यू/एस 117,120 बी, 153,153 ए, 295 ए, 298,500,504,505 और 506। आईटी अधिनियम का 66 ए भी।

• अनुज मिश्रा द्वारा 23 अप्रैल 2020 को कोटवाली, उरई, तुलसी नगर के समक्ष शिकायत।

अर्णब रंजन गोस्वामी बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

22 अप्रैल 2020 को कुमार राजा, उपाध्यक्ष, युवा कांग्रेस, झारखंड कांग्रेस समिति द्वारा कोटवाली पुलिस के समक्ष शिकायत

स्टेशन, ऊपरी बाजार, रांची।

मध्य प्रदेश के युवाओं द्वारा 22 अप्रैल 2020 की शिकायत

●

कांग्रेस "।

3. एफ. आई. आर. और शिकायतों की उत्पत्ति महाराष्ट्र के पालघर जिले के गढ़चिंचले गांव में हुई एक घटना के संबंध में 16 अप्रैल 2020 को रिपब्लिक टीवी और 21 अप्रैल 2020 को आर भारत पर प्रसारण से हुई। 16 अप्रैल 2020 को हुई घटना के दौरान, कथित तौर पर पुलिस और वन रक्षक कर्मियों की उपस्थिति में भीड़ ने दो साधुओं सहित तीन लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस घटना को प्रिंट में व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया था और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। याचिका में कहा गया है कि घटना की एक वीडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। आर भारत पर 21 अप्रैल 2020 को अपने समाचार कार्यक्रम "पूच्छा है भारत" में याचिकाकर्ता ने घटना की कथित रूप से सुस्त जांच के संबंध में मुद्दे उठाने का दावा किया है। समाचार प्रसारण का खंड जनता के ऑनलाइन देखने के लिए उपलब्ध है।

यहाँः

HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. यूट्यूब। कॉम/वॉच? v = C2i4MMpKu91

4. याचिकाकर्ता ने प्रसारण के दौरान जो दृष्टिकोण रखने का दावा किया है, वह रिट याचिका के निम्नलिखित अंश में वर्णित है जिसे याचिकाकर्ता द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के समक्ष स्थापित किया गया हैः

अधिकारियों और प्रशासन और राज्य सरकार ने पालघर की घटना पर इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को देखते हुए मौन धारण कर लिया क्योंकि महाराष्ट्र में वर्तमान में शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा संयुक्त रूप से गठित गठबंधन सरकार का शासन है। बहस ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जिस तरह से अधिकारियों द्वारा घटना को चित्रित किया जा रहा था, जिसमें यह स्पष्ट तथ्य भी शामिल था कि घटना कई पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में हुई थी, जिसे शुरू में दबा दिया गया था।

5. याचिकाकर्ता का दावा है कि प्रसारण के बाद, "एक अच्छी तरह से समन्वित, व्यापक, प्रतिशोधी और दुर्भावनापूर्ण अभियान" चलाया गया था

उनके खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 और उसके कार्यकर्ताओं द्वारा शुरू किया गया।

उनका आरोप है कि यह अभियान समाचार रिपोर्टों और ट्वीट्स के माध्यम से ऑनलाइन चलाया गया था, जिससे संकेत मिलता है कि आई. एन. सी. के सदस्यों ने कई याचिकाएं दायर की थीं।

याचिकाकर्ता के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों के समक्ष एक साथ शिकायतें दर्ज करने और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 153,153 ए, 153 बी 295 ए, 298,500,504,506 और 120 बी के तहत उसके द्वारा किए गए कथित अपराधों की जांच की मांग करती हैं। हैशटैग का उपयोग करते हुए सोशल मीडिया पर याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के लिए एक अभियान कथित रूप से शुरू किया गया थाः

#गिरफ्तारी एंटीइंडिया अर्नब

6. याचिकाकर्ता ने अपनी दलीलों के दौरान कहा कि सभी शिकायतें और प्राथमिकियां संयोग से उन राज्यों में दर्ज की गई हैं जहां

जिन सरकारों का गठन किया गया था, वे आई. एन. सी. के प्रति निष्ठा रखते हैं और उनका मानना है कि कानून प्रवर्तन तंत्र स्थापित किया जा रहा था।

एक गुप्त उद्देश्य के साथ गति। इसकी पुष्टि करने के लिए, याचिकाकर्ता एक घटना का उल्लेख करता है जो कथित रूप से 23 अप्रैल 2020 को हुई थी, जब वह मुंबई के वर्ली में अपने स्टूडियो से 12 के बीच अपनी पत्नी के साथ कार से लौट रहा थाः 30 और 1: 00 मैं। उनकी कार का सामना मोटर साइकिल पर सवार दो व्यक्तियों से हुआ। याचिकाकर्ता के सुरक्षाकर्मियों के सामने, मोटर साइकिल पर सवार दो व्यक्तियों पर आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस के सदस्यों के रूप में अपनी पहचान का खुलासा किया है। याचिकाकर्ता के कहने पर मुंबई के एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसमें उस पर कथित हमले का विवरण दिया गया है। 7. याचिकाकर्ता इस बात से इनकार करता है कि उसने समाचार प्रसारण के दौरान सांप्रदायिक प्रकृति के विचारों का प्रचार किया है जिसने कई शिकायतों को जन्म दिया है। संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने मौलिक अधिकार पर जोर देते हुए, याचिकाकर्ता ने उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के तहत इस अदालत का रुख किया है। जिन राहतों की मांग की गई है, वे इस प्रकार हैंः

(i) कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज सभी शिकायतों और प्राथमिकियों को रद्द करना;
(ii) एक रिट निर्देश कि कार्रवाई के कारण के आधार पर किसी भी शिकायत या एफ़. आई. आर. का कोई संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए जो उन शिकायतों और एफ़. आई. आर. का आधार है जिनके कारण ऐसा हुआ है।

वर्तमान रिट कार्यवाहियों के लिए; और

3 " आई. पी. सी. "अर्णब रंजन गोस्वामी बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

[डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे.]

(iii) केंद्र सरकार को पर्याप्त प्रावधान करने का निर्देश

याचिकाकर्ता और उसके परिवार के साथ-साथ सुरक्षा

रिपब्लिक टीवी और आर भारत में अपने सहयोगियों को।

श्री मुकुल रोहतगी और श्री सिद्धार्थ भटनागर; महाराष्ट्र राज्य की ओर से श्री कपिल सिब्बल; छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से श्री विवेक तन्खा; और राजस्थान राज्य की ओर से - डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने के बाद, इस न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में उल्लेख किया कि जिस आदेश को पारित करने का उसका इरादा है, वह निम्नलिखित शासी सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाएगाः

यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपराधिक प्रक्रिया मान न ले

((i)

एक ही कारण पर स्थापित विविध शिकायतों की संस्था द्वारा एक परेशान करने वाले अभ्यास का चरित्र कई राज्य;

((ख)

पत्रकारिता की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कानून की आवश्यकता संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) की सीमा;

(iii)

आवश्यकता है कि उपचार के लिए सहारा लिया जाए संहिता के अनुसार प्रत्येक नागरिक के लिए उपलब्ध

दंड प्रक्रिया 1973;

((iv) यह सुनिश्चित करना कि नागरिक को कानूनी उपाय करने में सक्षम बनाने के लिए, इस बीच सीमित अवधि के लिए दंडात्मक कदमों के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान की जाए;

(v)

एफ. आई. आर. की जाँच होने दी जानी चाहिए।

कानून के अनुसार इस न्यायालय को तैनात किए बिना

की उचित प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र

कानून; और

(vi) याचिकाकर्ता की अपनी सुरक्षा और अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान की सुरक्षा के लिए खतरे की आशंका को दूर करना।

9. याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस अदालत को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता को 2020 की प्राथमिकी 238 को स्थानांतरित करने पर कोई आपत्ति नहीं है, जो जांच के उद्देश्य से मुंबई के एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में पुलिस स्टेशन सदर, जिला नागपुर शहर में दर्ज की गई थी। श्री कपिल सिब्बल, विद्वान वरिष्ठ वकील

इसी तरह महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश होने पर इस कार्रवाई पर कोई आपत्ति नहीं थी। यह विशेष रूप से इस न्यायालय द्वारा 24 अप्रैल 2020 को पारित आदेश में निम्नलिखित शब्दों में दर्ज किया गया हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 9 वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी ने निर्देश मांगने पर अदालत को अवगत कराया कि अगर नागपुर में दर्ज की गई प्राथमिकी को एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस को जांच के उद्देश्य से स्थानांतरित किया जाता है तो याचिकाकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होगी। स्टेशन, मुंबई, जहाँ याचिकाकर्ता ने 23 अप्रैल 2020 को एक प्राथमिकी दर्ज की है। याचिकाकर्ता की एफ़. आई. आर. आधी रात को हुई एक घटना के संबंध में है, जिसके दौरान स्टूडियो से घर लौटते समय उसे और उसकी पत्नी को दो व्यक्तियों द्वारा बाधित किया गया था और एक पर कथित रूप से हमला किया गया था।

10 श्री सिब्बल ने संकेत दिया है कि इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए

नागपुर में दर्ज की गई एफ. आई. आर. को मुंबई स्थानांतरित करना। नतीजतन, यह न्यायालय अपने अंतरिम आदेश द्वाराः

(i) जिला नागपुर शहर के पुलिस स्टेशन सदर में दर्ज 2020 की प्राथमिकी 238 को मुंबई के एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में इस स्पष्टीकरण के साथ स्थानांतरित किया गया कि याचिकाकर्ता सहयोग करेगा।

जाँच में;

(ii) शिकायतों और एफ. आई. आर. के अलावा अन्य शिकायतों से उत्पन्न होने वाली आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई जो पुलिस स्टेशन सदर, जिला नागपुर शहर में स्थापित की गई थी और स्थानांतरित कर दी गई थी;

(iii) 2020 की एफ. आई. आर. 238 में जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई जिसे पुलिस स्टेशन सदर, जिला नागपुर शहर से मुंबई के एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया था;

(iv) 21 अप्रैल 2020 के प्रसारण के संबंध में उपरोक्त प्राथमिकी से उत्पन्न और उसके संबंध में दंडात्मक कदमों के खिलाफ याचिकाकर्ता का संरक्षण किया; (v) याचिकाकर्ता को दंड प्रक्रिया संहिता 19734 की धारा 438 के तहत बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने और आगे बढ़ने की स्वतंत्रता दी गई।

ऐसे अन्य उपाय जो कानून में उपलब्ध हों। यह स्पष्ट किया गया कि ऐसे किसी भी आवेदन पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा सक्षम न्यायालय द्वारा;

(vi) किसी अन्य एफ. आई. आर., या जैसा भी मामला हो, आपराधिक शिकायतों के संबंध में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है।

सी "नाब रंजन गोस्वामी बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

दाखिल किया गया या जिसके बाद के संबंध में दायर किया जा सकता है

एक ही घटना; और

(vii) पुलिस आयुक्त 3, मुंबई को याचिकाकर्ता के आवास और व्यावसायिक प्रतिष्ठान में सुरक्षा प्रदान करने के अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया।

10. इस न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद, कार्यवाही के दौरान कई अंतरिम याचिकाएं दायर की गईं। आई. ए. के विवरण हमारे अंतिम विश्लेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक हैं

2020 का आई. ए. सं. 48585: याचिकाकर्ता द्वारा दायर

11. याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है किः

(i) मुंबई पुलिस 20206 की एफ. आई. आर. 238 के संबंध में निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है, जिसे जांच के लिए पुलिस स्टेशन सदर, जिला नागपुर शहर से मुंबई के एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया है।

(ii) जिस तरह से मुंबई पुलिस द्वारा जांच की गई है, वह इस "अपरिहार्य निष्कर्ष" की ओर ले जाती है कि अधिकारी "गंभीर द्वेष और दुर्भावना को बढ़ावा देते हैं।

याचिकाकर्ता के खिलाफ इरादा;

((iii) जाँच राजनीति से प्रेरित है और "पूर्व-निर्धारित और पूर्व-ध्यान" के साथ की गई है।

"याचिकाकर्ता और उसके परिवार को धोखा देना, परेशान करना और अपमानित करना और संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत उसके बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को कम करना;

(iv) चूंकि याचिकाकर्ता का समाचार चैनल पालघर की घटना में महाराष्ट्र पुलिस की संलिप्तता पर सवाल उठा रहा है और पुलिस राज्य सरकार के प्रशासन और नियंत्रण में आती है।

आई. एन. सी.), जांच में हितों का स्पष्ट टकराव है।

मुंबई पुलिस द्वारा; और

(v) यह आवश्यक है कि किसी भी घटना को रोकने के लिए जांच पर रोक लगा दी जाए।

न्याय की विफलता। इन आशंकाओं को निम्नलिखित कथनों के आधार पर स्थापित करने की कोशिश की जाती हैः

मुंबई के एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में 2020 की एफ. आई. आर. 164 के रूप में दर्ज किया गया।

अग्रिम न्यायालय की रिपोर्ट

(क) 25 अप्रैल 2020 को, याचिकाकर्ता को दंड प्रक्रिया संहिता 19737 की धारा 41 (क) के तहत एक नोटिस दिया गया था जिसमें उसे 26 अप्रैल को पुलिस स्टेशन बुलाया गया था।

2020 ;

(ख) 26 अप्रैल 2020 को याचिकाकर्ता ने जाँच अधिकारियों के सामने पेश होने की इच्छा व्यक्त की।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से;

(ग) उपरोक्त अनुरोध को अस्वीकार करते हुए, आई. ओ. ने याचिकाकर्ता को 26 अप्रैल 2020 के समन द्वारा एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में शारीरिक रूप से उपस्थित होने के लिए कहा।

27 अप्रैल 2020 को मुंबई;

(घ) 27 अप्रैल 2020 को, याचिकाकर्ता से लगभग बारह घंटे तक बिना किसी विराम के पूछताछ की गई, जिसके दौरान उसे अपना मोबाइल फोन रखने या रखने की अनुमति नहीं थी।

अपना व्यक्तिगत फिटनेस बैंड पहनने के लिए;

(ई) जाँच के दौरान, याचिकाकर्ता को मुंबई पुलिस ने सूचित किया कि शिकायतकर्ता डॉ।

नितिन काशीनाथ राउत, जो महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ने एक पूरक बयान दायर किया था जिसमें संकेत दिया गया था

जब उन्हें प्रसारण की एक क्लिप प्रदान की गई थी;

(च) जाँच के दौरान प्रश्नों का एक बड़ा हिस्सा

एक छोटे से खंड के संबंध में था जिसमें कुल पचास-दो मिनट के प्रसारण में से पंद्रह सेकंड शामिल थे;

(छ) जाँच के दौरान, याचिकाकर्ता से आई. ओ. द्वारा पूछा गया था कि क्या उसने प्रसारण के दौरान आई. एन. सी. के अध्यक्ष को बदनाम या बदनाम किया था।

21 अप्रैल 2020 को;

(ज) 2020 की एफ. आई. आर. 164 आई. एन. सी. के अध्यक्ष की शिकायत पर आधारित नहीं है और इसलिए, यह अकल्पनीय है कि आई. ओ. याचिकाकर्ता से कैसे पूछताछ कर सकता था।

मानहानि का एक कथित कार्य जिसे वह किसी भी स्थिति में अस्वीकार करता है; जन गोस्वामी बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

जाँच के दौरान और उसके आसपास कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए ट्वीट्स से संकेत मिलता है कि मुंबई पुलिस "अपने राजनीतिक आकाओं" द्वारा पूछताछ के दौरान वास्तविक समय की जानकारी पर भरोसा कर रही थी।

जाँच के दौरान याचिकाकर्ता से पूछे गए प्रश्नों का 2020 की एफ़. आई. आर. 164 से कोई संबंध नहीं है। जिन प्रश्नों को पूछा गया उनमें निम्नलिखित शामिल थेः

" (i) याचिकाकर्ता की कंपनी, ए. आर. जी. आउटलायर मीडिया एशियानेट प्राइवेट लिमिटेड ("ए. आर. जी".) की निगमित संरचना जिसमें इसके निदेशक मंडल भी शामिल हैं। ए. आर. जी. का स्वामित्व और संचालन है। रिपब्लिक टीवी और आर. भारत।

((ii) याचिकाकर्ता के समाचार चैनलों द्वारा प्रसारण लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया।

(iii) याचिकाकर्ता के समाचार चैनलों के अभिलेखागार का स्थान; चाहे याचिकाकर्ता का हिंदी चैनल हो, आर. भारत।

महाराष्ट्र के बाहर या अंदर स्थित है।

(iv) क्या याचिकाकर्ता का समाचार चैनल केंद्र सरकार को समाचार रिपोर्टों की रिकॉर्डिंग भेजता है (यह

सवाल कई बार पूछा गया था)

(v) याचिकाकर्ता के समाचार चैनलों पर प्रसारित बहस के लिए पैनलिस्टों के चयन की प्रक्रिया। क्या पैनलिस्टों को इसके लिए याचिकाकर्ता के समाचार चैनल द्वारा पारिश्रमिक दिया जाता है? उद्देश्य।

(vi) क्या याचिकाकर्ता उस घर का मालिक है जिसमें वह है।

वर्तमान में रह रहे हैं या किराया दे रहे हैं।

शिकायतकर्ता, डॉ. नितिन काशीनाथ राउत का 29 अप्रैल 2020 को रिपब्लिक टीवी के एक रिपोर्टर द्वारा प्राथमिकी में दिए गए बयान और उस स्थान के बारे में उनके क्रमिक पूरक बयान के बीच विरोधाभास के संबंध में साक्षात्कार लिया गया था जहां वीडियो क्लिप देखी गई थी। पूछताछ के जवाब में

साक्षात्कार में शिकायतकर्ता ने कहाः

" इस मुद्दे पर भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने बयान में जो कुछ भी उल्लेख किया है, वह सच है। घर पर देखने के बाद, मुझे एक क्लिप भी मिली, जो [2020] 8 एस. सी. आर. थी।

अग्रिम न्यायालय की रिपोर्ट

मेरे पार्टी कार्यालय से मुझे भेजा गया। जब मैं कहता हूं कि मैंने इसे पहले देखा था, तो यह सच है, और बाद में मैंने एक क्लिप देखी, जिसका उल्लेख मैंने पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत में किया है। यदि आपने संविधान के अनुच्छेद 19 (1) को पढ़ा है, जहां अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता है

इसका उल्लेख किया गया है लेकिन कहीं भी यह सीमा पार करने या चरम टिप्पणी करने की अनुमति नहीं देता है। प्रतिबंध हैं।

और श्री अर्नब ने उनका उल्लंघन किया है। मुझे श्री अर्नब का बहुत सम्मान है, वे एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उन्होंने अब तक मीडिया को अच्छी तरह से संभाला है लेकिन क्या हुआ हाल ही में। मैं नहीं जानता। अपने भाषण के दौरान, वह भूल गए कि वह इस देश के नागरिक हैं और एक नागरिक को संविधान का पालन करना पड़ता है। मैंने हमेशा पत्रकारों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है लेकिन सवाल यह है कि इन टिप्पणियों में दंगा भड़काने का स्पष्ट प्रयास शामिल है। इस दौरान अर्नब से लंबे समय तक पूछताछ की गई क्योंकि वह आईपीसी 153, आईपीसी 153 (ए) और अन्य से जुड़े आपराधिक साजिश के आरोप का सामना कर रहा है। आप उनसे 12 से 12 घंटे तक पूछताछ करने का मुद्दा उठाते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस देश के पूर्व गृह मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को इतने लोगों के लिए बैठाया गया था

घंटे, ऐसा क्यों हुआ? आप लोग उस पूछताछ के पीछे के कारण पर कभी सवाल नहीं उठाते। मैंने उस क्लिप को सुना है और अर्नब ने सांप्रदायिकता भड़काने की कोशिश की है

उस भाषण में भावनाएँ। किसी ने उसे वह अधिकार नहीं दिया,

संविधान भी नहीं। "

30 अप्रैल 2020 को, आई. ओ. ने दस्तावेज़ों के लिए अनुरोध करते हुए सी. आर. पी. सी. की धारा 91 और 160 के तहत रिपब्लिक टीवी के मुख्य वित्तीय अधिकारी को दो नोटिस जारी किए। नोटिस के अनुसार, सी. एफ. ओ. सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों और प्रसारण लाइसेंस की प्रतियों के साथ मुंबई पुलिस के समक्ष पेश हुए। निम्नलिखित पहलुओं के संबंध में उनसे लगभग साढ़े छह घंटे तक पूछताछ की गई:

समाचार चैनलों और कॉर्पोरेट ढांचे में गोस्वामी कंपनी से।

रंजन गोस्वामी बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

((ii) याचिकाकर्ता की कंपनी में निवेशकों का विवरण, ए. आर. जी. आउटलायर मीडिया न्यूज प्राइवेट लिमिटेड और क्या

याचिकाकर्ता ने एक प्रॉक्सी मालिक के रूप में समाचार चैनल चलाया

किसी और की ओर से।

(iii) आश्चर्यजनक रूप से, श्री सुंदरम से यह भी पूछा गया कि क्या कोई याचिकाकर्ता को श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में और उनकी कथित मानहानि के बारे में सवाल उठाने का निर्देश दे रहा था।

(iv) याचिकाकर्ता की तरह, श्री सुंदरम से भी पूछा गया था कि क्या

याचिकाकर्ता के समाचार चैनल के पास कोई व्यवस्था है

केंद्र सरकार को समाचार रिपोर्टों की वीडियो रिकॉर्डिंग भेजना।

(v) याचिकाकर्ता का चैनल समाचार कार्यक्रमों के लिए पैनलिस्टों का चयन कैसे करता है और क्या उन्हें कोई पारिश्रमिक दिया जाता है, इसका विवरण। उन्हें "।

कथित तौर पर यह पता चला है कि मुंबई के एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन से जुड़े एक लक्षणहीन अधिकारी, जहां सी. एफ. ओ. से पूछताछ की जा रही थी, पॉजिटिव पाए गए थे

कोविड-19 के लिए एक दिन पहले परिणाम के साथ कि अब पुलिस स्टेशन के सभी अधिकारियों का परीक्षण किया जा रहा था। सी. एफ. ओ. था

गंभीर और अनावश्यक खतरे के अधीन; और

जहाँ एक ओर पुलिस 2020 की एफ. आई. आर. 164 की जाँच कर रही थी, वहीं याचिकाकर्ता द्वारा उस पर हमले के बाद दर्ज की गई एफ. आई. आर. की संतोषजनक जाँच नहीं की जा रही है। हमले में दो लोगों के शामिल होने का आरोप याचिकाकर्ता को 27 अप्रैल 2020 को मुंबई के भोईवाड़ा में मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, याचिकाकर्ता का अनुरोध है -

उनके आई. ए. द्वारा रिलीफः

2020 की एफ. आई. आर. 238 के संबंध में मुंबई पुलिस द्वारा जांच और सभी आनुषंगिक कदमों पर रोक

मुंबई के एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित (आदेश के अनुसरण में 2020 की एफ. आई. आर. 164 के रूप में पुनः क्रमांकित)

इस न्यायालय का दिनांक 24 अप्रैल 2020;

(ii) वैकल्पिक रूप से, जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित करने के लिए सीबीआई को समय-समय पर इस न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ; (iii) याचिकाकर्ता द्वारा दर्ज 2020 की एफ. आई. आर. 148 की जांच का हस्तांतरण सी. बी. आई. या एक स्वतंत्र जांच के लिए।

एजेंसी;

((iv) याचिकाकर्ता को जाँच में शामिल होने की अनुमति

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग; और

(v) याचिकाकर्ता और उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करना

निवास और व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए।

2020 का आई. ए. 48588 1 3: महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर

13. आई. ए. का समर्थन पुलिस उप-मिशनर, जोन-3, मुंबई, अविनाश कुमार के एक हलफनामे द्वारा किया गया है, जो निगरानी कर रहे हैं।

क्र. में बंधन। एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस में 2020 का सं. 164 मुंबई में। मुंबई पुलिस ने जांच के उचित पाठ्यक्रम में बाधा डालने में आचरण याचिकाकर्ता को उजागर करने की कोशिश की है। आई. ए. में जिन राहतों की मांग की गई है, वे इस प्रकार हैं:

" ए। उचित निर्देश जारी करें जो यह माननीय न्यायालय उचित समझे ताकि जांच एजेंसी को किसी भी दबाव से बचाया जा सके।

याचिकाकर्ता से धमकी या जबरदस्ती और सक्षम करने के लिए जांच एजेंसी एक मेले में अपने वैध दायित्वों को पूरा करने के लिए

और पारदर्शी तरीके से;

बी। याचिकाकर्ता को अंतरिम संरक्षण का दुरुपयोग करने से रोकें

याचिकाकर्ता को 24 अप्रैल 2020 के आदेश के माध्यम से प्रदान किया गया;

14. आई. ए. का आधार निम्नलिखित कथनों से प्रकट होता है:

(i) 27 अप्रैल 2020 को याचिकाकर्ता सुबह 9 बजे मुंबई के एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में उपस्थित हुआ।

उनके संवाददाताओं और कैमरामैन के दल ने कई भाषण दिए जिनका कथित रूप से सीधा प्रसारण किया गया।

(ii) याचिकाकर्ता से 4 घंटे की पूछताछ के बाद, रिपब्लिक भारत पर हिंदी में एक ट्वीट पोस्ट किया गया था जिसमें कहा गया था कि पुलिस स्टेशन से बाहर आने पर, याचिकाकर्ता ने कहा था कि

दावा किया कि 'सच्चाई की जीत होगी';

मैं "।

डी महाराष्ट्र राज्य द्वारा रंजन गोस्वामी बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ।

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

जाँच के संचालन के संबंध में रिपब्लिक भारत पर पोस्ट किए गए दो अन्य ट्वीट्स ने यह धारणा बनाने की कोशिश की है किः

(क) पुलिस पक्षपाती है;

(ख) याचिकाकर्ता द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है।

जाँच की गई; और

(ग) याचिकाकर्ता से अनावश्यक रूप से पूछताछ की गई है।

कई घंटे;

28 अप्रैल 2020 को, याचिकाकर्ता ने "पुचता है भारत" नामक एक कार्यक्रम के दौरान गणतंत्र भारत पर एक बहस की मेजबानी की, जिसमें उन्होंने लोगों के खिलाफ आरोप लगाए। पुलिस आयुक्त 1 4, मुंबई में उनकी संलिप्तता

इंडिया बुल्स से जुड़ा घोटाला। याचिकाकर्ता ने इन विवरणों को प्रकट करने की धमकी दी;

सीपी के खिलाफ बयानों का उद्देश्य जांच के पाठ्यक्रम में बाधा डालना है और 26 अप्रैल 2020 को याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच शुरू होने के बाद ही आरोप सामने आए हैं।

याचिकाकर्ता का यह आरोप कि पुलिस उसकी प्राथमिकी की जांच नहीं कर रही थी, इस परिस्थिति से गलत है कि धारा 341 और 504 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

आईपीसी की धारा 34; याचिकाकर्ता द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में दो आरोपी थे

गिरफ्तार किया गया और अंततः 27 अप्रैल 2020 को दादर की 13 वीं अदालत में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया।

मुंबई; और

पुलिस उपायुक्त, मुंबई ने प्रस्तुत किया है कि पालघर मुंबई पुलिस के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने सीपी पर निराधार आरोप लगाकर संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है और इसलिए, इस न्यायालय के निर्देश [2020] 8 एस. सी. आर. को अलग करने के लिए आवश्यक हैं।

जाँच एजेंसी ताकि वह अपने कार्य को सुचारू और पारदर्शी तरीके से कर सके।

2020 का आई. ए. 48532: याचिकाकर्ता द्वारा दायर

15. आई. ए. याचिकाकर्ता द्वारा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सी. एफ. ओ. एस. सुंदरम के नाम एक हलफनामा रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करने के लिए है। शपथ पत्र

ई सी. एफ. ओ. याचिकाकर्ता के मामले का समर्थन करने का प्रयास करता है किः

(i) लंबे समय तक पूछताछ की जा रही है।

प्रतिशोधी और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य;

(ii) सी. एफ. ओ. से होल्डिंग कंपनी की संरचना, शेयरधारिता पैटर्न और निवेशकों के बारे में पूछताछ की गई हैः मामले

जो एफ. आई. आर. की जाँच के लिए बाहरी हैं;

((iii) इस दौरान प्रश्न पूछे गए हैं।

इक्विटी नकद लेनदेन, शेष हितधारकों के नाम, प्रमुख निवेशक द्वारा निवेश के बारे में पूछताछ

और याचिकाकर्ता के पति या पत्नी की भूमिका; और

(iv) सी. एफ. ओ. से संपादकीय प्रक्रिया पर पूछताछ की गई थी।

चैनल, इसमें शामिल संपादकीय दल और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक कार्यक्रम को एक साथ रखा जाता है। आई. ओ. ने भी पूछताछ की

प्रतिभागियों का चयन कैसे किया जाता है।

2020 का आई. ए. 48586: याचिकाकर्ता द्वारा दायर

16. याचिकाकर्ता ने इस आई. ए. को अनुच्छेद 32 के तहत दायर किए गए संशोधन की मांग करते हुए पेश किया। याचिकाकर्ता जोड़ की मांग करता है

विंग रिलीफ्सः

(i) यह घोषणा कि आई. पी. सी. की धारा 499 संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) का उल्लंघन करती है और इसलिए असंवैधानिक है;

(ii) एक घोषणा कि 2020 की एफ. आई. आर. 164 और महाराष्ट्र राज्य द्वारा शुरू की गई परिणामी जांच अवैध है और संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत याचिकाकर्ता को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है;

महाराष्ट्र राज्य को याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी प्राथमिकी दर्ज करने से रोकने के लिए निषेध का एक रिट

2020 की एफ. आई. आर. 238 अर्नब रंजन गोस्वामी बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

आर भारत पर 21 अप्रैल 2020 को प्रसारण के संबंध में

पालघर की घटना; और

(iv) महाराष्ट्र राज्य को एफ. आई. आर. के अनुसार किसी भी जांच पहल को जारी रखने से रोकने के लिए निषेध का एक रिट।

164 2020 से।

संशोधन के लिए आई. ए. के साथ संलग्न किए गए दस्तावेजों में निम्नलिखित की प्रतियां शामिल हैं:

(क) 2020 की एफ. आई. आर. 238 22 अप्रैल 2020 को पुलिस स्टेशन सदर, जिला नागपुर शहर में दर्ज की गई, जिसे अब स्थानांतरित कर दिया गया है;

(ख) प्रसारण के संबंध में दर्ज शिकायतों की प्रतियां

21 अप्रैल 2020 को आर भारत द्वारा देश भर के विभिन्न पुलिस थानों में

देश को;

(ग) सदस्यों के ट्वीटर खातों से किए गए ट्वीट

आईएनसी पार्टी का;

(घ) एफ. आई. आर. की शिकायत के साथ साक्षात्कार की प्रतिलिपि

164 2020 का; और

(ई) मुंबई में एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक द्वारा 30 अप्रैल 2020 को सी. एफ. ओ. को जारी किए गए नोटिस।

2020 का आई ए 48515 और 2020 का आई ए 48519:

17. ये आई. ए. याचिकाकर्ता द्वारा दायर किए गए हैं और इनमें वही राहत शामिल हैं जो 2020 के आई. ए. 48585 और 2020 के 48586 में मांगी गई हैं।

लेखन याचिका (सीआरएल) 2020 की डायरी संख्या 11189

18. रिट याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 24 अप्रैल 2020 को पारित अंतरिम आदेश के बाद शुरू की गई है।

इस न्यायालय ने पिछली याचिका में। बाद की याचिका 2 मई 2020 को पायधोनी पुलिस स्टेशन, मुंबई में याचिकाकर्ता के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज करने के कारण दर्ज की गई है। एफ़. आई. आर. जो तीसरे प्रतिवादी द्वारा दर्ज की गई है, जो रज़ा एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी नामक संगठन का सचिव होने का

दावा करता है। एफ. आई. आर. में कहा गया है कि 29 अप्रैल 2020 को याचिकाकर्ता ने आर भारत पर प्रसारित एक कार्यक्रम के दौरान कुछ बयान दिए थे।

एक पूजा स्थल का संदर्भ) कि "मुसलमान से संबंधित लोग" 17 2020 [2020] 8 एस. सी. आर. की एफ. आई. आर. 137

धर्म कोविड-19 के प्रसार के लिए जिम्मेदार है। एफ. आई. आर. के अनुसारः

" घटना के संबंध में रिपब्लिक भारत टीवी चैनल पर 29/04/2020 पर अर्नब गोस्वामी द्वारा दिए गए बयान 14/04/2020 पर बांद्रा रेलवे स्टेशन के क्षेत्र में एकत्र हुई जनता स्पष्ट रूप से दिखाती है कि जामा मस्जिद, बांद्रा एक पवित्र पूजा स्थल होने के बावजूद और बांद्रा रेलवे स्टेशन पर प्रवासी श्रमिकों के इकट्ठा होने की घटना से कोई संबंध नहीं होने के बावजूद, अर्नब गोस्वामी ने इसे सांप्रदायिक रंग दिया और कोरोना के प्रसार के लिए मुस्लिम समुदाय को जिम्मेदार ठहराया। शो में बार-बार उपरोक्त जैसे बयान देकर उन्होंने मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को गंभीर रूप से आहत किया है। उन्होंने सांप्रदायिक तनाव पैदा करने, दंगे भड़काने की कोशिश की है

और जानबूझकर उनके पूजा स्थल का अपमान करके मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत किया। बांद्रा रेलवे स्टेशन पर 14/04/2020 पर प्रवासी श्रमिकों की सभा को सीधे जामा मस्जिद से जोड़कर, अर्नब गोस्वामी ने सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित किया। उनके बयानों ने आगे संकेत दिया कि मुस्लिम समुदाय हिंसक है और कानून का सम्मान नहीं करता है। उक्त टीवी शो के मालिक और एंकर के रूप में अर्नब गोस्वामी ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव/सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने के इरादे से ये बयान दिए हैं। "

19. 29 अप्रैल 2020 को हुए प्रसारण का विज्ञापन करने के बाद, एफ़. आई. आर. में 14 अप्रैल 2020 का उस तारीख के रूप में उल्लेख किया गया है जिस दिन याचिकाकर्ता ने आर भारत के "एंकर और मालिक" के रूप में एक धार्मिक पूजा स्थल को बांद्रा रेलवे स्टेशन पर प्रवासी श्रमिकों की सभा से जोड़ने का प्रयास किया है। आईपीसी की धारा 153,153 ए, 295 ए, 500,505 (2), 511,505 (1) (सी) और 120 बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। एफ. आई. आर. को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता इसके अधिकार क्षेत्र को लागू करना चाहता है।

न्यायालय एफ. आई. आर. को रद्द करने के आदेश के लिए और एक रिट के लिए निर्देश देता है कि किसी भी शिकायत या एफ. आई. आर. पर इसके बाद कार्रवाई के उसी कारण पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए। 20. याचिकाकर्ता की ओर से दलीलों का नेतृत्व करते हुए, श्री हरीश साल्वे, विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत इस अदालत के समक्ष दायर की गई याचिका "व्यापक मुद्दों" को उठाती है।

अनुच्छेद 19 (1) (ए) के सुरक्षात्मक दायरे में आने वाले विचारों को प्रसारित करने के लिए एक पत्रकार के बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निहित करना। श्री साल्वे ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता इस अधिकार क्षेत्र को लागू करने में उचित है क्योंकि रंजन गोस्वामी बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ।

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] इस न्यायालय के लिए सुरक्षा उपाय निर्धारित करने के लिए जो रक्षा करते हैं

निडर और स्वतंत्र पत्रकारिता में रुचि। द.

जिनका श्री साल्वे आग्रह करते हैं, उन्हें विश्लेषण के लिए इस प्रकार तैयार किया जा सकता है:

याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज की गई दोनों प्राथमिकियां

विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को दबाने का इरादा है

स्वतंत्र पत्रकार जो इसके दायरे में संरक्षित है

संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (ए); मुंबई पुलिस द्वारा की गई जाँच दुर्भावनापूर्ण है।

तथ्य यह है कि एफ. आई. आर. दर्ज करना और आरंभ करना

जाँच की दुर्भावना निम्नलिखित से स्पष्ट है परिस्थितियाँ:

सभी एफ. आई. आर., या जैसा भी मामला हो, शिकायतें हैं

ए।

भाषा या विषय-वस्तु में थोड़ी भिन्नता और कार्रवाई के एक ही कारण के संबंध में प्रतिकृतियाँ;

बी। शिकायतकर्ताओं ने सभी राज्यों को चुना है जहाँ

सरकार का गठन या समर्थन से किया गया है

आईएनसी;

पुलिस द्वारा की गई पूछताछ

सी.

याचिकाकर्ता और सी. एफ. ओ. से पूछताछ की प्रक्रिया का एफ. आई. आर. की सामग्री के साथ कोई संबंध नहीं है और यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को निशाना बनाया जा रहा है।

आई. एन. सी. के अध्यक्ष की आलोचना करने वाले विचार व्यक्त करना;

डी। याचिकाकर्ता को निशाना बनाने में आई. एन. सी. की संलिप्तता इस तथ्य से स्पष्ट है कि जांच के दौरान, कार्यकर्ताओं और पार्टी के सदस्यों द्वारा किए गए ट्वीट सोशल मीडिया पर पूछताछ के दौरान दिखाई दिए;

एफ. आई. आर. की शिकायतकर्ता, जो एक कैबिनेट मंत्री है

ई.

महाराष्ट्र राज्य सरकार में, चला गया है

लक्ष्य करने के लिए एक साक्षात्कार के दौरान रिकॉर्ड करें

अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए याचिकाकर्ता;

एफ. मुंबई पुलिस द्वारा जाँच आई. एन. सी. के अध्यक्ष के खिलाफ किए गए मानहानि के एक कथित कार्य के खिलाफ निर्देशित है। पुलिस याचिकाकर्ता को मानहानि [2020] 8 एस. सी. आर. के अपराध में फंसाने की कोशिश कर रही है।

कानून की स्थिर स्थिति के बावजूद कि कथित रूप से बदनाम व्यक्ति द्वारा शिकायत के अभाव में, कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है; और

याचिकाकर्ता ने अपने कार्यक्रमों के दौरान

जी।

आर भारत और रिपब्लिक टीवी ने महाराष्ट्र पुलिस और राज्य सरकार को पालघर घटना की जांच करने में विफल रहने के लिए फंसाया। उन्होंने सीपी, मुंबई के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। इसलिए, जांच में हितों का स्पष्ट टकराव है।

मुंबई पुलिस द्वारा संचालित और याचिकाकर्ता को आशंका है कि यदि जांच जारी रही तो उसे एक निष्पक्ष और निष्पक्ष प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा; और

((iv) उपरोक्त परिस्थितियों में, यह है -

याचिकाकर्ता के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए यह निर्देश देना उचित है कि जांच पर रोक लगाई जाए या वैकल्पिक रूप से इसे सी. बी. आई. को सौंप दिया जाए।

21. विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने आग्रह किया है कि

यह एक अजीब स्थिति है जहां मुंबई पुलिस ने जांच एजेंसी के रूप में मेला आयोजित करने के लिए इस अदालत से सुरक्षा मांगी है। और निष्पक्ष जांच, शिकायत करते हुए कि याचिकाकर्ता प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस पृष्ठभूमि में, यह उचित होगा कि अदालत यह तय करे कि एक निष्पक्ष एजेंसी

जाँच का संचालन करें। श्री मेहता ने आग्रह किया कि इस न्यायालय को होना चाहिए

जाँच सी. बी. आई. को सौंपने के लिए इच्छुक एजेंसी जाँच करेगी। सॉलिसिटर जनरल ने आग्रह किया किः

(i) वर्तमान मामले में राज्य पुलिस का आचरण है -

‘ परेशान करना ';

((ii) पुलिस ने एक जांच एजेंसी के रूप में इन्सुलेशन की मांग की है।

अभियुक्त से; और

((iii) किसी भी आशंका को दूर करने वाली एजेंसी द्वारा जांच

पीड़ित करना कार्रवाई का उचित तरीका होगा।

22. महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल ने याचिकाओं का विरोध करते हुए आग्रह किया है किः

(i) दोनों याचिकाएं इस न्यायालय से जांच के पाठ्यक्रम की निगरानी के लिए निर्देश मांगने का एक प्रयास है जो है -

तय कानूनी स्थिति को देखते हुए अस्वीकार्य; ए. बी. रंजन गोस्वामी बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ((ii) याचिकाओं में दलीलों के साथ-साथ सुनवाई के दौरान आग्रह किए गए प्रस्तुतिकरणों से संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता उन प्रश्नों पर आपत्ति कर रहा है जो उस दौरान उससे पूछे गए थे।

जाँच की प्रक्रिया;

(iii) याचिकाकर्ता, उस व्यक्ति के रूप में जिसके खिलाफ पहली प्राथमिकी दर्ज की गई है।

दर्ज किया गया है, जांच की रेखा या पूछताछ की प्रकृति पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है;

(iv) अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत याचिकाकर्ता के अधिकार अनुच्छेद 19 (2) में निर्धारित सीमा के अधीन हैं। याचिकाकर्ता द्वारा पोस्ट किए गए कार्यक्रमों की प्राथमिकियां और वीडियो क्लिप

(जिन क्लिपों को श्री कपिल सिब्बल, विद्वान वरिष्ठ वकील ने सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चलाया था) इंगित करते हैं कि विचाराधीन अपराध बनाए गए हैं;

(v) याचिकाकर्ता द्वारा महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ लगाए गए आरोपों के विपरीत, यह याचिकाकर्ता ही है जिसने सोशल मीडिया के अनियंत्रित उपयोग से जांच को दबाने का सचेत प्रयास किया है, जो चैनल से आने वाले ट्वीट्स से स्पष्ट है।

पूछताछ;

(vi) याचिकाकर्ता को जांच के क्रम से कोई शिकायत नहीं हो सकती है जब उसे पूछताछ के लिए केवल एक दिन के बीच बुलाया गया था।

एफ. आई. आर. का पंजीकरण और वर्तमान समय;

(vii) मुंबई पुलिस का इस मामले में की गई जांच से कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र या संबंध नहीं है।

पालघर की घटना;

(viii) याचिकाकर्ता के आचरण से संकेत मिलता है कि उसने 27 अप्रैल 2020 को पूछताछ के बाद पहली बार सीपी, मुंबई के खिलाफ निराधार आरोप लगाए हैं। याचिकाकर्ता का प्रयास स्पष्ट रूप से एक मीडिया पत्रकार के रूप में अपने पद का उपयोग दुर्भावना का वातावरण बनाने के लिए है।

जाँच एजेंसी की ओर;

(ix) जहां तक दूसरी प्राथमिकी का संबंध है, कोई जांच शुरू नहीं हुई है और इसलिए अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का सहारा लेना अपरिपक्व है; [2020] 8 एस. सी. आर.

(x) उस स्वतंत्रता के बावजूद जो याचिकाकर्ता को दी गई थी

इस न्यायालय ने 24 अप्रैल 2020 के अपने आदेश में, याचिकाकर्ता के पास है

न ही उन्होंने सी. आर. पी. सी. की धारा 482 के तहत एफ. आई. आर. एस. को रद्द करने या अग्रिम अनुदान देने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया।

जमानत; और

(xi) उपरोक्त परिस्थितियों में, द्वारा दायर याचिकाएँ

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाकर्ता पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

23. महाराष्ट्र पुलिस की आधी जांच एजेंसी के वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि

उनके निवेदन की नींव के रूप में उपदेश कि याचिकाएँ

मनोरंजन करने के लिए नहीं। डॉ. सिंघवी ने आग्रह कियाः

(i) वर्तमान मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि संरक्षण की आड़ में, आरोपी प्रयास कर रहा है

पुलिस को धमकाना;

(ii) अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाएं सीआरपीसी के तहत उपलब्ध सामान्य प्रक्रिया को 'लीप फ्रॉगिंग' करने का प्रयास करती हैं;

((iii) जाँच के दौरान कोई भी हस्तक्षेप है -

अस्वीकार्य;

((iv) जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसके द्वारा याचिकाकर्ता अनुच्छेद के तहत अधिकार क्षेत्र को परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहता है।

32 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक में;

(v) यद्यपि याचिकाकर्ता मौलिक अधिकारों का हकदार है।

अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत, उनका प्रयोग अनुच्छेद 19 (2) में निर्धारित सीमाओं के अधीन है। एफ. आई. आर. एस. की सामग्री और वीडियो क्लिप से पता चलता है कि प्रतिबंध अनुच्छेद 19 (2) के तहत आकर्षित होते हैं;

(vi) उप-न्यायिक सिद्धांत को लागू करते हुए, याचिकाकर्ता इस न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग करने का हकदार नहीं है।

जाँच; और

(vii) सी. बी. आई. को चल रही जाँच के हस्तांतरण को एक असाधारण शक्ति माना गया है जिसका प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में संयम से किया जाना चाहिए। अभियुक्त, यह अच्छी तरह से व्यवस्थित है, के चयन के संबंध में कोई अधिकार नहीं हो सकता है

जाँच एजेंसी।

अर्णब रंजन गोस्वामी बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

24. इन प्रस्तुतियों को विस्तार से बताते हुए डॉ. सिंघवी ने कहा किः

(i) इस न्यायालय द्वारा तीन सप्ताह के लिए दिए गए संरक्षण के बावजूद, याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमानत या एफ. आई. आर. एस. को रद्द करने के लिए सक्षम अदालत का रुख नहीं किया है; ((ii) जब पहली याचिका दायर की गई थी तब किसी भी शिकायतकर्ता को शामिल नहीं किया गया था।

दाखिल किया गया;

(iii) पायधोनी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी के संबंध में, नहीं

जाँच भी शुरू हो गई है।

(iv) पहली एफ़. आई. आर. की जाँच का हस्तांतरण पुलिस स्टेशन सदर, जिला नागपुर शहर से मुंबई के एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन को उनके अनुरोध पर और उनकी सहमति से किया गया था।

याचिकाकर्ता का; और

(v) याचिकाकर्ता का आचरण इंगित करता है कि वह वही है जो

जाँच को दबाना।

25. डॉ. सिंघवी ने कहा कि पूछताछ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करती है। उपरोक्त प्रस्तुतियों के आधार पर, यह आग्रह किया गया है कि जांच को सी. बी. आई. को स्थानांतरित करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है। उन्होंने आग्रह किया कि दूसरी रिट याचिका, किसी भी स्थिति में, होनी चाहिए

बर्खास्त कर दिया। 26. इस स्तर पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि श्री कपिल सिब्बल और डॉ. सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ वकील का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया था

इस तथ्य के लिए कि आई. एन. सी. के प्रति निष्ठा का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा विभिन्न राज्यों में दायर की गई प्राथमिकियां, प्रथम दृष्टया, एक ही भाषा और सामग्री की प्रतिकृति प्रतीत होती हैं। इसके जवाब में, श्री सिब्बल ने निष्पक्ष रूप से कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, यह न्यायालय अन्य सभी प्राथमिकियों को रद्द कर सकता है और उस प्राथमिकी की जांच की अनुमति दे सकता है जिसे मुंबई के एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित कर दिया गया है ताकि कानून के अनुसार आगे बढ़ सके। श्री सिब्बल ने यह भी आग्रह किया है कि इस कानूनी स्थिति के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता है कि मानहानि के अपराध के संबंध में शिकायत केवल उस व्यक्ति के कहने पर हो सकती है जो पीड़ित है। नतीजतन, वर्तमान में मुंबई के एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में जांच के तहत आई. पी. सी. की धारा 499 के तहत किसी भी अपराध को शामिल नहीं किया जाएगा।

27. दूसरी प्राथमिकी में शिकायतकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री के. वी. विश्वनाथन ने कहा किः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(1) 2 मई 2020 को दर्ज की गई एफ़. आई. आर.

प्रसारण जो 29 अप्रैल 2020 को हुआ;

((ii) अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिकाओं की रखरखाव क्षमता है -

पूछताछ की; और

(iii) प्रसारित किए गए कार्यक्रमों के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए बयान स्पष्ट रूप से धारा 153 ए, 295 ए और संज्ञानात्मक प्रावधानों के तहत अपराधों को निहित करते हैं।

आईपीसी की।

विश्लेषण

28. जिस मूल आधार पर अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू किया गया है, वह है कई प्राथमिकियां दर्ज करना और

कार्रवाई के एक ही कारण से उत्पन्न विभिन्न राज्यों में शिकायतें। कार्रवाई का कारण एक कार्यक्रम पर आधारित था जिसे 21 अप्रैल 2020 को आर भारत पर प्रसारित किया गया था। याचिकाकर्ता के खिलाफ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड राज्यों में प्राथमिकी और आपराधिक शिकायतें दर्ज की गईं। अनेक आपराधिक कार्यवाही से संबंधित कानून टी. टी. एंटनी बनाम केरल राज्य ("टी. टी. एंटनी") मामले में इस न्यायालय के एक फैसले में कार्रवाई के इसी कारण का विश्लेषण किया गया है। दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए, न्यायमूर्ति सैयद शाह मोहम्मद कादरी ने धारा 154 के प्रावधानों और धारा 173 सहित दंड प्रक्रिया संहिता के संज्ञानात्मक प्रावधानों की व्याख्या की और कहाः

" 20 ..... दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154,155,156,157,162,169,170 और 173 के प्रावधानों की योजना के तहत, संज्ञेय अपराध करने के संबंध में केवल सबसे पहली या पहली जानकारी।

धारा 154 सी. आर. पी. सी. की आवश्यकताओं को पूरा करता है। अतः ऐसा किया जा सकता है

कोई दूसरी एफ़. आई. आर. नहीं होगी और इसके परिणामस्वरूप कोई नई एफ़. आई. आर. नहीं हो सकती है। एक ही संज्ञेय अपराध या एक या अधिक संज्ञेय अपराधों को जन्म देने वाली एक ही घटना या घटना के संबंध में प्रत्येक बाद की जानकारी की प्राप्ति पर जांच। संज्ञेय अपराध या संज्ञेय अपराध या अपराध को जन्म देने वाली घटना के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर और स्टेशन हाउस डायरी में प्राथमिकी दर्ज करने पर, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को न केवल प्राथमिकी में दर्ज संज्ञेय अपराध की जांच करनी होती है, बल्कि अन्य संबंधित अपराधों की भी जांच करनी होती है जो किए गए पाए गए हैं।

19 (2001) 6 एस. सी. सी. 181 अर्नब रंजन गोस्वामी बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

एक ही लेन-देन या एक ही घटना के दौरान और धारा 173 सी. आर. पी. सी. में प्रदान की गई एक या अधिक रिपोर्ट दर्ज करें।

अदालत ने कहा कि "कोई दूसरी एफ. आई. आर. नहीं हो सकती" जहां जानकारी उसी संज्ञेय अपराध से संबंधित है जो पहले मामले में आरोप लगाया गया था।

एफ. आई. आर. या वही घटना या घटना जो एक या अधिक संज्ञेय अपराधों को जन्म देती है। यह इस तथ्य के कारण है कि जाँच न केवल कथित संज्ञेय अपराध को अपने दायरे में लेती है, बल्कि किसी भी अन्य संबंधित अपराध को भी शामिल करती है जो किए गए पाए जा सकते हैं। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक बार धारा 154 के प्रावधानों द्वारा अभिनिर्धारित एक एफ. आई. आर. दर्ज की गई है, इसके बाद प्राप्त कोई भी जानकारी

जाँच शुरू करना दूसरी एफ़. आई. आर. का आधार नहीं हो सकता है। क्योंकि ऐसा करने से सी. आर. पी. सी. की योजना का पालन नहीं होगा। अदालत ने कहाः

" 18 ..... संज्ञेय अपराध की जांच शुरू होने के बाद मौखिक या लिखित रूप से की गई अन्य सभी जानकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों से प्रकट की गई है। और पुलिस अधिकारी द्वारा स्टेशन हाउस डायरी में दर्ज किए गए या ऐसे अन्य संज्ञेय अपराध जो जांच के दौरान उसके संज्ञान में आ सकते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के तहत आने वाले बयान होंगे। ऐसी किसी भी जानकारी/बयान को उचित रूप से एक प्राथमिकी के रूप में नहीं माना जा सकता है और स्टेशन हाउस डायरी में फिर से दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि यह प्रभावी रूप से दूसरी प्राथमिकी होगी और यह सीआरपीसी की योजना के अनुरूप नहीं हो सकती है। "

इस न्यायालय ने अनुच्छेद 19 और 21 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बीच एक न्यायसंगत संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

संज्ञेय अपराध की जाँच करने के लिए पुलिस की व्यापक शक्ति। पूर्ववर्ती की ओर रुख करते हुए, इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

" 27 ..... जाँच की व्यापक शक्ति की आवश्यकता नहीं है

चाहे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) के तहत अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने से पहले हो या बाद में। यह स्पष्ट रूप से धाराओं के दायरे से बाहर होगा। 154 और 156 सी. आर. पी. सी., नहीं, किसी दिए गए मामले में जांच की वैधानिक शक्ति के दुरुपयोग का मामला। हमारे विचार में दूसरी या लगातार प्राथमिकियों के आधार पर नए सिरे से जांच का मामला, न कि जवाबी मामला, उसी या [2020] 8 एस. सी. आर. के संबंध में दायर किया गया है।

संबंधित संज्ञेय अपराध कथित रूप से किया गया है

उसी लेन-देन की प्रक्रिया और जिसके संबंध में

पहली एफ़. आई. आर. तक या तो जाँच चल रही है या अंतिम रिपोर्ट। धारा 173 (2) के तहत मजिस्ट्रेट को भेज दिया गया है,

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए एक उपयुक्त मामला हो या संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत "।

(जोर दिया गया)

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उन स्थितियों को प्रतिबंधित करना जिनमें एक प्रति-मामला है

दर्ज की गई, उसी या संबंधित संज्ञेय अपराध के आधार पर एक नई जांच या दूसरी प्राथमिकी "जांच की वैधानिक शक्ति का दुरुपयोग" होगी और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 या दंड प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 1 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए एक उपयुक्त मामला हो सकता है।

संविधान।

29. टी. टी. एंटनी में निर्णय पहले विचार के लिए आया था।

उपकार सिंह बनाम वेद प्रकाश 2 0 ("उपकार सिंह") मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ। न्यायमूर्ति एन संतोष हेगड़े ने इस न्यायालय की ओर से बोलते हुए राम लाल नारंग बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) 2 1 ("राम लाल नारंग"), कारी चौधरी बनाम एम. एस. टी. मामले में इस न्यायालय के पहले के फैसलों को स्वीकार किया। सीता देवी 2 2 ("कारी चौधरी") और बिहार राज्य बनाम जेएसी सल्दान्हा 23 ("सल्दान्हा")। न्यायालय ने नोट किया कि कारी चौधरी में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

" 11 ..... बेशक कानूनी स्थिति यह है कि दो एफ. आई. आर. एस. नहीं हो सकते हैं। एक ही मामले के संबंध में एक ही आरोपी के खिलाफ। लेकिन कब?

एक ही प्रकरण के संबंध में प्रतिद्वंद्वी संस्करण हैं, वे करेंगे आम तौर पर दो अलग-अलग एफ. आई. आर. और जाँच का रूप लेते हैं।

एजेंसी "।

30. सल्दान्हा में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि शक्ति प्रदान की गई थी

धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट पर मामले की आगे की जांच करने के लिए जांच अधिकारी की शक्ति को प्रभावित नहीं करता है।

धारा 173 (8) के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करना। उपकार सिंह के मामले में, इस अदालत ने कहा कि राम लाल नारंग का निर्णय कारी चौधरी और सल्दान्हा के फैसलों के समान है।

20 (2004) 13 एससीसी 292 21 (1979) 2 एस. सी. सी. 322

22 (2002) 1 एस. सी. सी. 714

23 (1980) 1 एस. सी. सी. 554 अर्नब रंजन गोस्वामी बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

टी. टी. एंटनी में निर्णय उसी घटना के संबंध में दूसरी शिकायत दर्ज करने को एक जवाबी शिकायत के रूप में नहीं रोकता है और न ही इस कार्रवाई को सी. आर. पी. सी. द्वारा निषिद्ध किया गया है। उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 23. जो भी हो, यदि इस न्यायालय द्वारा टी. टी. एंटनी मामले [(2001) 6 एस. सी. सी. 181 में निर्धारित विधिः 2001 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1048] को यह मानते हुए स्वीकार किया जाना चाहिए कि उसी घटना के संबंध में जवाबी शिकायत के रूप में दायर की गई दूसरी शिकायत संहिता के तहत निषिद्ध है, तो हमारी राय में, इस तरह के निष्कर्ष से गंभीर परिणाम होंगे। यह नीचे दिए गए काल्पनिक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, अर्थात यदि वास्तविक अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध के संबंध में वह पहली बार झूठी शिकायत दर्ज करने का अवसर लेता है और वह अधिकार क्षेत्र की पुलिस द्वारा दर्ज की जाती है, तो ऐसे अपराध का पीड़ित पीड़ित मामला दर्ज करने से वंचित हो जाएगा।

घटना के बारे में अपना बयान देते हुए शिकायत, परिणामस्वरूप वह वास्तविक आरोपी को लाने के अपने वैध अधिकार से वंचित हो जाएगा

बुक करें। यह संहिता का उद्देश्य नहीं हो सकता है। "

इन सिद्धांतों को बाबूभाई बनाम गुजरात राज्य मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दोहराया गया था। डॉ. न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान

देखा गयाः

" 21. ऐसे मामले में अदालत को तथ्यों की जांच करनी होती है और

एफ. आई. आर. और समानता परीक्षण दोनों को जन्म देने वाली परिस्थितियों को यह पता लगाने के लिए लागू किया जाना है कि क्या एफ. आई. आर. एस. दोनों एक ही घटना के संबंध में एक ही घटना से संबंधित हैं या दोनों एक ही घटना के संबंध में हैं।

उन घटनाओं के लिए जो एक ही के दो या दो से अधिक भाग हैं

लेन-देन। यदि उत्तर सकारात्मक है, तो दूसरी एफ़. आई. आर. रद्द की जा सकती है। हालाँकि, यदि इसके विपरीत साबित हो जाता है,

जहाँ दूसरी एफ़. आई. आर. में संस्करण अलग है और वे दो अलग-अलग घटनाओं/अपराधों के संबंध में हैं, दूसरी एफ़. आई. आर. अनुमत है। एक ही घटना के संबंध में पहली प्राथमिकी में आरोपी एक अलग संस्करण के साथ आगे आता है या प्रतिवाद, दोनों एफ. आई. आर. पर जाँच की जानी है।

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रासंगिक जांच यह है कि क्या दो या दो से अधिक

एफ. आई. आर. एक ही घटना से संबंधित है या उन घटनाओं से संबंधित है जो एक ही लेनदेन का हिस्सा हैं। यदि न्यायालय सकारात्मक निष्कर्ष निकालता है, तो बाद की प्राथमिकियों को रद्द किया जा सकता है।

हालांकि, जहां बाद की प्राथमिकी विभिन्न घटनाओं या अपराधों से संबंधित है या जवाबी दावे के रूप में है, जांच आगे बढ़ सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[इस संदर्भ में चिर्रा शिवराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 25 और चिराग एम पाठक बनाम डॉलीबेन कांतिलाल पटेल 2 भी देखें।

298 , 500 , 504 और आई. पी. सी. की धारा 506। सुनवाई के दौरान, इस न्यायालय को 21 अप्रैल 2020 की घटना के संबंध में दायर कई शिकायतों पर गौर करने का अवसर मिला है। वे समान शब्दों में लिखे गए हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि कार्यक्रम के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों के आधार पर कार्रवाई के कारण की पहचान होती है। जिसे 21 अप्रैल 2020 को प्रसारित किया गया था। इसके अलावा, पैराग्राफ की भाषा, विषय-वस्तु और अनुक्रमण और उनकी संख्या समान है। यह इस पृष्ठभूमि में था कि वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल ने निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया (हमारे विचार में सही) कि यह न्यायालय राज्यों में विभिन्न क्षेत्राधिकारों में दर्ज अन्य सभी एफ. आई. आर. और शिकायतों को रद्द करने के लिए आगे बढ़ सकता है, हालांकि, 2020 की एफ. आई. आर. 238 के संबंध में जांच को खुला छोड़ते हुए।

22 अप्रैल 2020 को पुलिस स्टेशन सदर, जिला नागपुर शहर से मुंबई के एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया।

32. संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए इस न्यायालय को सौंपे गए संवैधानिक कर्तव्य की मान्यता का गठन करता है।

नागरिकों के अधिकार। पत्रकारिता की स्वतंत्रता का प्रयोग अनुच्छेद 19 (1) (ए) द्वारा संरक्षित भाषण और अभिव्यक्ति के मूल में निहित है। याचिकाकर्ता एक मीडिया पत्रकार है। टेलीविजन शो पर विचारों का प्रसारण जो वह होस्ट करते हैं, उनके बोलने और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार का प्रयोग है।

अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत। भारत की स्वतंत्रता तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक पत्रकार प्रतिशोध की धमकी से शांत हुए बिना सत्ता से बात कर सकते हैं। द.

उस मौलिक अधिकार का प्रयोग निरपेक्ष नहीं है और अनुच्छेद 19 (2) के प्रावधानों के संदर्भ में अधिनियमित कानूनी व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन एक पत्रकार को कई शिकायतों के अधीन होने की अनुमति देना और एक ही आधार वाली लगातार प्राथमिकियों और शिकायतों का सामना करने पर कई राज्यों और क्षेत्राधिकारों में उपचार की खोज करना उस स्वतंत्रता के प्रयोग पर एक दमनकारी प्रभाव डालता है। यह प्रभावी रूप से शासन के मामलों के बारे में जानने के लिए नागरिक की स्वतंत्रता को नष्ट कर देगा

25 (2010) 14 एस. सी. सी. 444 26 (2018) 1 एस. सी. सी. 330 अर्नब रंजन गोस्वामी बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

राष्ट्र और एक सूचित समाज सुनिश्चित करने के लिए पत्रकार का अधिकार। हमारे निर्णयों में कहा गया है कि अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत एक पत्रकार का अधिकार नागरिक के बोलने और व्यक्त करने के अधिकार से अधिक नहीं है। लेकिन एक समाज के रूप में हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं हो सकता है। स्वतंत्र नागरिक

33. हमारे निर्णयों की एक सूची-उन्हें व्यक्तिगत रूप से संदर्भित करना परिचित लोगों की एक परेड होगी-ने दृढ़ता से स्थापित किया है कि कोई भी उचित मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध को आनुपातिकता के अनुरूप होना चाहिए

मानक, जिसका एक घटक यह है कि अपनाया गया उपाय वैध राज्य उद्देश्य को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए कम से कम प्रतिबंधात्मक उपाय होना चाहिए। कार्रवाई के एक ही कारण के आधार पर विभिन्न न्यायालयों में उत्पन्न होने वाली कई कार्यवाहियों के लिए एक व्यक्ति को अधीन करना अपराध का मुकदमा चलाने में वैध राज्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कम से कम प्रतिबंधात्मक और प्रभावी तरीके के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से याचिकाकर्ता को एक ही टेलीविजन शो से उत्पन्न होने वाले समान आरोपों के आधार पर केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर के अलावा कई राज्यों में कई प्राथमिकियों के अधीन किया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा कि इस अदालत का हस्तक्षेप लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है।

एक नागरिक के रूप में और एक पत्रकार के रूप में याचिकाकर्ता के साथ उचित व्यवहार (अनुच्छेद 14 द्वारा गारंटीकृत) और विचारों का स्वतंत्र चित्रण करने की स्वतंत्रता। ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता को संबंधित से संपर्क करने की आवश्यकता होती है

रद्द करने के लिए अधिकार क्षेत्र रखने वाले उच्च न्यायालयों के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता, जो एक पत्रकार है, के लिए कई कार्यवाहियां और अनावश्यक उत्पीड़न होगा।

अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत, प्राथमिकी की जांच से मुक्त नहीं है जिसे पुलिस स्टेशन सदर, जिला नागपुर शहर से मुंबई के एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह संतुलन अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत मौलिक अधिकार के प्रयोग और सी. आर. पी. सी. के तहत अपराध की जांच के बीच खींचा जाना चाहिए। अन्य सभी एफ. आई. आर. एक ही घटना का सम्मान प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

35. याचिकाकर्ता ने पहले बताए गए कारणों से जांच को सी. बी. आई. को स्थानांतरित करने की मांग की है। इस विषय पर कानून को स्पष्ट करने से पहले, हमें शुरुआत में इस बात पर जोर देना चाहिए कि एफ. आई. आर. 238 का हस्तांतरण

2020 जिला नागपुर शहर के पुलिस स्टेशन सदर से लेकर मुंबई के एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन तक याचिकाकर्ता की सहमति और उनके अनुरोध पर था। एफ. आई. आर. की जाँच को मुंबई के एन. एम. जोशी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित करने का कारण यह था कि यह वह पुलिस स्टेशन था जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा घटना के संबंध में पहले एक एफ. आई. आर. दर्ज की गई थी, जब 23 अप्रैल 2020 की आधी रात को घर जाते समय दो राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने कथित रूप से उन्हें और उनकी पत्नी को बाधित किया था। पुलिस स्टेशन सदर, जिला नागपुर शहर से मुंबई के एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में जांच के हस्तांतरण को स्वीकार करने के बाद, याचिकाकर्ता अब मुंबई पुलिस द्वारा की गई उसी जांच पर सवाल उठाना चाहता है।

36. जाँच सी. बी. आई. को हस्तांतरित करना कोई आम बात नहीं है। इस न्यायालय के उदाहरण इस बात पर जोर देते हैं कि यह एक " असाधारण शक्ति का उपयोग "संयम से" और "असाधारण परिस्थितियों में" किया जाना। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण के लिए समिति, पश्चिम बंगाल 27 ("सीपीडीआर, पश्चिम बंगाल") में एक संविधान पीठ के लिए बोलते हुए, न्यायमूर्ति डी. के. जैन ने कहाः

" 70 ..... संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 द्वारा प्रदत्त व्यापक शक्तियों के बावजूद, कोई भी आदेश पारित करते समय, न्यायालयों को इन संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग पर कुछ स्व-थोपी गई सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए। उक्त अनुच्छेदों के तहत शक्ति की प्रचुरता के लिए इसके प्रयोग में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जहां तक किसी मामले में जांच करने के लिए सी. बी. आई. को निर्देश जारी करने का सवाल है, हालांकि यह तय करने के लिए कोई कठोर दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं कि ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं, लेकिन बार-बार यह दोहराया गया है कि ऐसा आदेश नियमित रूप से या केवल इसलिए पारित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि

एक पार्टी ने स्थानीय लोगों के खिलाफ कुछ आरोप लगाए हैं

पुलिस। इस असाधारण शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

संयम से, सावधानी से और असाधारण परिस्थितियों में जहां विश्वसनीयता प्रदान करना और स्थापित करना आवश्यक हो जाता है
जाँच में विश्वास या जहाँ घटना के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो सकते हैं या जहाँ ऐसा कोई

पूर्ण न्याय करने के लिए आदेश आवश्यक हो सकता है और

27 (2010) 3 एस. सी. सी. 571 नाब रंजन गोस्वामी बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

मौलिक अधिकारों को लागू करना। नहीं तो सीबीआई

इस प्रक्रिया में असंतोषजनक रूप से अपनी विश्वसनीयता और उद्देश्य खो देता है। जाँच "।

(जोर दिया गया)

इस सिद्धांत को केवी राजेंद्रन बनाम में दोहराया गया है।

पुलिस अधीक्षक, सी. बी. सी. आई. डी. दक्षिण क्षेत्र, चेन्नई 28. डा.

ई. बी. एस. चौहान, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए

" 13 ..... इस न्यायालय ने बार-बार इस मुद्दे पर विचार किया है कि किन परिस्थितियों में जांच को राज्य की जांच एजेंसी से सीबीआई जैसी किसी अन्य स्वतंत्र जांच एजेंसी को स्थानांतरित किया जा सकता है। यह माना गया है कि शक्ति

असाधारण मामले जहां अदालत पक्षों के बीच न्याय करने और जनता के मन में विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक समझती है, या जहां राज्य पुलिस द्वारा जांच में विश्वसनीयता की कमी है और "निष्पक्ष, ईमानदार और पूर्ण जांच" के लिए आवश्यक है, और विशेष रूप से, जब राज्य के निष्पक्ष कामकाज में जनता का विश्वास बनाए रखना अनिवार्य है। एजेंसियाँ "।

इस सिद्धांत के बारे में विस्तार से बताते हुए, इस न्यायालय ने कहाः

केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में राज्य की जाँच एजेंसी से जाँच को सी. बी. आई. जैसी किसी अन्य स्वतंत्र जाँच एजेंसी को हस्तांतरित करना। जैसे कि जहां राज्य प्राधिकरणों के उच्च अधिकारी शामिल हैं, या आरोप स्वयं जांच एजेंसी के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ है, जिससे अनुमति मिलती है उन्हें जांच को प्रभावित करने के लिए, और आगे यह कि न्याय करना और विश्वास पैदा करना इतना आवश्यक है

जाँच या जहाँ जाँच प्रथम दृष्टया पाई जाती है

दागी/पक्षपाती बनें "।

अदालत ने दोहराया कि जांच केवल "दुर्लभ और असाधारण मामलों" में ही सी. बी. आई. को हस्तांतरित की जा सकती है। एक कारक जिस पर अदालतें विचार कर सकती हैं, वह यह है कि इस तरह का स्थानांतरण "राज्य एजेंसियों के निष्पक्ष कामकाज में जनता का विश्वास" बनाए रखने के लिए "अनिवार्य" है। इस अवलोकन को सीपीडीआर, पश्चिम बंगाल में संविधान पीठ की टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाना चाहिए कि पुलिस के खिलाफ केवल आरोप जांच को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं।

37. रोमिला थापर बनाम भारत संघ 2 9 में, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर ने इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए (हम में से एक, डॉ. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़, असहमति जताते हुए) इस सिद्धांत को निर्धारित करने वाले उदाहरणों की एक पंक्ति में इस कथन का उल्लेख किया कि अभियुक्त का "जांच एजेंसी की नियुक्ति के मामले में कोई कहना नहीं है"। इस सिद्धांत को दोहराते हुए, इस न्यायालय ने नर्मदा बाई बनाम राज्य के मामले में अपने पहले के फैसलों पर भरोसा किया।

गुजरात 3 0, संजीव राजेंद्र भट्ट बनाम भारत संघ 3 1, ई शिवकुमार

v भारत संघ 3 2 और डिवाइन रिट्रीट सेंटर बनाम केरल राज्य 3 33। इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 30 ..... इस न्यायालय का सुसंगत दृष्टिकोण यह है कि अभियुक्त जाँच एजेंसी को बदलने या अदालत की निगरानी में जाँच सहित किसी विशेष तरीके से जाँच करने के लिए नहीं कह सकता है।

38. इस न्यायालय के उदाहरणों से जो कानून का सिद्धांत उभरता है, वह यह है कि जांच को स्थानांतरित करने की शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए।

" संयम से "और केवल" असाधारण परिस्थितियों में "। याचिकाकर्ता द्वारा आग्रह की गई याचिका का आकलन करते हुए कि जांच को सी. बी. आई. को स्थानांतरित किया जाना चाहिए, हम इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों द्वारा निर्देशित हैं।

उस असाधारण शक्ति का प्रयोग। उन आधारों को संबोधित करना आवश्यक है जिन पर याचिकाकर्ता जांच के हस्तांतरण की मांग करता है। स्थानांतरण के लिए जिन आधारों का आग्रह किया गया है वे हैंः

(i) 27 अप्रैल को हुई पूछताछ की अवधि

2020 ;

((ii) याचिकाकर्ता और सी. एफ. ओ. को संबोधित पूछताछ की प्रकृति और इस दौरान संबोधित प्रश्न।

पूछताछ;

29 (2018) 10 एस. सी. सी. 753

32 (2018) 7 एससीसी 365

33 (2008) 3 एस. सी. सी. 542 अर्नब रंजन गोस्वामी बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

(iii) याचिकाकर्ता द्वारा विफलता के खिलाफ लगाए गए आरोप

पालघर में दो लोगों की कथित रूप से पीट-पीटकर हत्या पुलिस और वन विभाग के कर्मियों की उपस्थिति;

((iv) याचिकाकर्ता द्वारा 28 पर लगाए गए आरोप

सीपी, मुंबई के संबंध में अप्रैल 2020; और

(v) आई. एन. सी. के कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए ट्वीट और

आर भारत के एक प्रतिनिधि से शिकायतकर्ता द्वारा साक्षात्कार।

39. जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया और

एफ. आई. आर. की जाँच को पुलिस स्टेशन सदर, जिला नागपुर शहर से मुंबई के एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित करने के लिए सहमति दी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस समय उनके द्वारा दर्ज की गई एक पूर्व प्राथमिकी थाने में जांच चल रही थी। याचिकाकर्ता अब मुंबई पुलिस द्वारा जाँच को पूर्ववत करने की मांग करता है। जिस आधार पर याचिकाकर्ता इसे प्राप्त करना चाहता है, वह असमर्थनीय है। एक अभियुक्त व्यक्ति के पास जांच करने के तरीके या तरीके के संबंध में या जांच एजेंसी के संबंध में कोई विकल्प नहीं होता है। याचिकाकर्ता या सी. एफ. ओ. में से किसी से भी पूछताछ की प्रक्रिया को जांच/पूछताछ के तहत व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित या निर्देशित नहीं किया जा सकता है। पी चिदंबरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय 34 मामले में न्यायमूर्ति आर.

भानुमति ने इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहा किः

" 66 ..... क्षेत्र में एक अच्छी तरह से परिभाषित और सीमांकित कार्य है

जांच और उसके बाद के निर्णय। यह कार्य नहीं है

जांच प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए अदालत का जब तक जाँच कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है। होना ही चाहिए।

निर्णय लेने के लिए जांच एजेंसी के विवेक पर छोड़ दिया गया

जाँच का क्रम। अगर अदालत को प्रत्येक मामले में हस्तक्षेप करना है और जाँच के हर चरण और पूछताछ

अभियुक्त, यह जाँच के सामान्य पाठ्यक्रम को प्रभावित करेगा। यह.

इसे आगे बढ़ाने के लिए जांच एजेंसी पर छोड़ दिया जाना चाहिए

अभियुक्त से पूछताछ करने का अपना तरीका, प्रकृति

उसके सामने रखे गए प्रश्न और पूछताछ का तरीका अभियुक्त "।

(जोर दिया गया)

इस अदालत ने कहा कि जब तक जांच कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है, तब तक जांच एजेंसी विवेकाधिकार के साथ निहित है

जाँच के क्रम को निर्देशित करने में, जिसमें प्रश्नों की प्रकृति और पूछताछ के तरीके का निर्धारण करना शामिल है। इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए, इस न्यायालय ने बिहार राज्य बनाम पीपी शर्मा 3 5 35 और दुखिष्यम बेनुपानी, सहायक मामले में अपने पहले के फैसलों पर भरोसा किया। निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय (एफ. ई. आर. ए.) बनाम अरुण कुमार बाजोरिया 3 6 जिसमें यह आयोजित किया गया था। कि जाँच एजेंसी जाँच के दौरान "स्थान, समय और प्रश्न और इस तरह के प्रश्न पूछने का तरीका" तय करने की हकदार है।

40. निदेशक में, केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम

नियमवेदी का प्रतिनिधित्व इसकी सदस्य के नंदिनी, अधिवक्ता 3 7, ने किया। न्यायमूर्ति सुजाता वी. मनोहर ने इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहा कि उच्च न्यायालय के पास होना चाहिएः

" 4 ... .तथ्य को देखते हुए सी. बी. आई. द्वारा जिस तरह से जांच की जा रही थी, उस पर कोई टिप्पणी करने से परहेज किया।

कि जाँच अभी पूरी नहीं हुई थी। "

इस न्यायालय ने कहा किः

" 4 ..... कोई भी टिप्पणी जो जाँच में हस्तक्षेप हो सकती है, नहीं की जानी चाहिए। आम तौर पर न्यायालय को जाँच के समय से पहले हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए।

क्योंकि इससे जांच पटरी से उतर सकती है और मनोबल गिर सकता है जांच पड़ताल की। हाल ही में, जांच में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और अदालतों को इसकी संभावना से सावधान रहना चाहिए

" "

परिणाम।

इस न्यायालय ने यह स्थिति अपनाई कि अदालतों को चल रही जांच पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए ताकि जांच एजेंसियां एक निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायपूर्ण जांच करने के लिए आवश्यक स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करती हैं।

41. याचिकाकर्ता का यह तर्क कि जाँच की अवधि या उसे संबोधित प्रश्नों की प्रकृति और

37 (1995) 3 एस. सी. सी. 601 अर्नब रंजन गोस्वामी बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे.]

42. याचिकाकर्ता ने तब उन आरोपों पर भरोसा करने की मांग की है जो उसने सीपी, मुंबई के खिलाफ लगाए हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि 27 अप्रैल 2020 को पूछताछ की गई। उन्होंने सीपी, मुंबई के खिलाफ जो आरोप लगाए थे, वे 28 पर एक टेलीविजन कार्यक्रम के दौरान लगाए गए थे।

अप्रैल 2020 ("पूच्छा है भारत") आर भारत पर 1900 बजे प्रसारित हुआ। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, इस न्यायालय ने सीपीडीआर, पश्चिम बंगाल में कहा है कि जांच के किसी भी हस्तांतरण का आदेश केवल इसलिए नहीं दिया जा सकता है क्योंकि एक पक्ष ने स्थानीय पुलिस के खिलाफ कुछ आरोप लगाए हैं। तदनुसार, हम यह नहीं पाते हैं कि इस तरह के आरोप लगाना अपने आप में जांच के हस्तांतरण के लिए पर्याप्त आधार होगा।

43. आर भारत के प्रतिनिधि को शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया साक्षात्कार इस निष्कर्ष के लिए कानून में एक वैध आधार प्रदान नहीं करता है कि

जाँच दागदार होती है या जाँच को सी. बी. आई. को स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। महाराष्ट्र सरकार ने इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया है (डी. सी. पी., जोन-3 द्वारा पुष्टि की गई) जिसमें जांच एजेंसी को "याचिकाकर्ता के किसी भी दबाव, धमकी या जबरदस्ती से" बचाने और उसे अपने वैध कर्तव्यों का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए उचित निर्देश देने की मांग की गई है। सोशल मीडिया पर आर भरत द्वारा ट्वीट किए गए विचारों के आधार पर, यह महाराष्ट्र पुलिस है जो अब याचिकाकर्ता के खिलाफ निरोधक आदेश का दावा कर रही है। हम सॉलिसिटर जनरल की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि राज्य द्वारा दायर आई. ए. की सामग्री से जांच को सी. बी. आई. को स्थानांतरित करना आवश्यक हो जाएगा। जाँच एजेंसी ने रिकॉर्ड पर रखा है जो उसे लगता है कि याचिकाकर्ता द्वारा सोशल मीडिया का सहारा लेकर और समाचार चैनलों का उपयोग करके जाँच को बदनाम करने का प्रयास है जो वह संचालित करता है। सोशल मीडिया समाज में एक व्यापक उपस्थिति बन गया है। याचिकाकर्ता द्वारा किए गए ट्वीट और शिकायतकर्ता द्वारा साक्षात्कार को अपने अधिकार क्षेत्र की कानूनी रूप से गठित जांच एजेंसी को स्थानांतरित करने के औचित्य के रूप में स्वीकार करने और जांच करने के कर्तव्य के संघीय ढांचे के लिए दूरगामी परिणाम होंगे। हम ऐसा करने के लिए अनिच्छुक हैं।

44. जाँच को सी. बी. आई. को हस्तांतरित करने के विवाद का आकलन करते हुए, हमने [2020] 8 एस. सी. आर. की गणना करने के निर्णय को ध्यान में रखा है।

अभिलेख पर अभिकथन और याचिकाकर्ता की ओर से निवेदन। हम किसी भी कारण को खोजने में असमर्थ हैं जो हस्तांतरण की गारंटी देता है

सी. बी. आई. को जांच। इस प्रकार धारण करने में, हमने इस न्यायालय की पूर्ववर्ती की सुसंगत पंक्ति में वर्णित परीक्षणों को लागू किया है। उन्हें पूरा नहीं किया गया है। जाँच के तहत एक व्यक्ति को एक निष्पक्ष प्रक्रिया की वैध अपेक्षा होती है जो कानून के अनुरूप होती है। जाँच के आगे बढ़ने के तरीके के बारे में अभियुक्त व्यक्ति की अप्रसन्नता या जाँच करने वाली पुलिस के खिलाफ हितों के टकराव का एक अप्रमाणित आरोप (जैसा कि वर्तमान मामले में है)

कानून का वैध पाठ्यक्रम और जांच को सी. बी. आई. को स्थानांतरित करने के लिए इस न्यायालय की असाधारण शक्ति का आह्वान सुनिश्चित करता है। अदालतें असाधारण परिस्थितियों में जांच को स्थानांतरित करने के लिए असाधारण अधिकार क्षेत्र मानती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपराधिक न्याय के प्रशासन की पवित्रता संरक्षित है। जबकि कोई लचीले दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए गए हैं, यह धारणा कि इस तरह का स्थानांतरण एक "असाधारण शक्ति" है जिसका उपयोग किया जाना चाहिए।

" बहुत कम "और" असाधारण परिस्थितियों में "इस विचार के अनुरूप है कि नियमित स्थानांतरण न केवल कानून के सामान्य पाठ्यक्रम में जनता के विश्वास को प्रभावित करेगा, बल्कि उन असाधारण स्थितियों को भी अर्थहीन बना देगा जो जांच को स्थानांतरित करने की शक्ति के प्रयोग की गारंटी देते हैं। अभिलेख की सामग्री के साथ-साथ याचिकाकर्ता द्वारा आग्रह किए गए कथनों और प्रस्तुतियों को संतुलित और विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि प्रकृति का कोई भी मामला जो इस न्यायालय के पूर्वजों में उल्लिखित परीक्षणों के दायरे में आता है, जांच के हस्तांतरण के लिए स्थापित नहीं किया गया है।

45. एक अंतिम पहलू के लिए विस्तार की आवश्यकता होती है। सी. आर. पी. सी. की धारा 199 मानहानि के लिए अभियोजन निर्धारित करती है। धारा 199 की उप-धारा (1)

एक शिकायत, या एक महिला है जिसे स्थानीय रीति-रिवाजों और शिष्टाचार के अनुसार सार्वजनिक रूप से उपस्थित होने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, कोई अन्य व्यक्ति, अदालत की अनुमति से, उसकी ओर से शिकायत कर सकता है। उप-धारा (2) में कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध का आरोप लगाया जाता है जो भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल, किसी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक या केंद्र या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का मंत्री हो, या अर्णब रंजन गोस्वामी बनाम के संबंध में केंद्र या किसी राज्य के मामलों के संबंध में नियोजित कोई अन्य लोक सेवक हो।

भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में उनका आचरण, सत्र न्यायालय लोक अभियोजक द्वारा लिखित में की गई शिकायत पर, मामले को किए बिना, ऐसे अपराध का संज्ञान ले सकता है। उप. धारा (3) में कहा गया है कि उप-धारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक शिकायत उन तथ्यों को सामने रखेगी जो कथित अपराध का गठन करते हैं, ऐसे अपराध की प्रकृति और ऐसे अन्य विवरण जो कथित अपराध के अभियुक्त को नोटिस देने के लिए उचित रूप से पर्याप्त हैं। उप-धारा (4) में आदेश दिया गया है कि उप-धारा (2) के तहत कोई भी शिकायत लोक अभियोजक द्वारा नहीं की जाएगी, सिवाय पिछले प्रावधान के।

राज्य सरकार की मंजूरी, किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो उस राज्य का राज्यपाल है या रहा है या उस सरकार का मंत्री है या किसी अन्य मामले में राज्य और केंद्र सरकार के मामलों के संबंध में कार्यरत कोई अन्य लोक सेवक है। उप-धारा (5) सत्र न्यायालय को उप-धारा के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेने से रोकती है।

धारा (2) जब तक कि शिकायत उस तारीख से छह महीने के भीतर नहीं की जाती है जिस दिन अपराध करने का आरोप लगाया गया है। उप-धारा (6) में कहा गया है कि इस धारा की कोई भी बात व्यक्ति के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।

जिनके विरुद्ध अपराध कथित रूप से किया गया है, उस अपराध के संबंध में अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत करना या ऐसी शिकायत पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए ऐसे मजिस्ट्रेट की शक्ति। 38

46. इस प्रावधान की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने

सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ, कानून मंत्रालय 3 9 ("सुब्रमण्यम स्वामी") ने कहा कि न तो प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है और न ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत निर्देश जारी किया जा सकता है और यह केवल एक शिकायत है जिसे पीड़ित व्यक्ति द्वारा दर्ज किया जा सकता है। यह न्यायालय आयोजितः

" 207. संबोधित किए जाने की आवश्यकता वाला एक अन्य पहलू समन जारी करने से संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 199 में शिकायत दर्ज करने की परिकल्पना की गई है।

अदालत। आपराधिक मानहानि के मामले में न तो कोई प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है और न ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत कोई निर्देश जारी किया जा सकता है। अपराध की अपनी गंभीरता होती है और इसलिए मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी अधिक होती है। एक तरह से, प्रक्रिया के जारी होने के समय यह बहुत अधिक है। प्रक्रिया का मुद्दा, जैसा कि राजिंद्र नाथ में आयोजित किया गया है महतो वी. टी. गांगुली [राजिंद्र नाथ महतो बनाम। टी. गांगुली, (1972) 1 एससीसी 450: 1972 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 206], न्यायिक मामला है।

38 सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ, विधि मंत्रालयः (2016) 7 पैरा 197 पर एस. सी. सी. 221

39 (2016) 7 एससीसी 221 [2020] 8 एस. सी. आर.

निर्धारण और प्रक्रिया जारी करने से पहले, मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता से पूछताछ करनी होती है। पंजाब नेशनल बैंक बनाम। सुरेंद्र

सिन्हा, 1993 सप्लीमेंट (1) एससीसी 499: 1993 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 149] यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायिक प्रक्रिया उत्पीड़न या अनावश्यक उत्पीड़न का साधन नहीं होनी चाहिए। न्यायालय, हालांकि एक अलग संदर्भ में, यह देखा गया है कि जिम्मेदारी और कर्तव्य निहित है

मजिस्ट्रेट यह पता लगाने के लिए कि क्या संबंधित अभियुक्त को आरोपित अपराध के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार होना चाहिए। केवल यह संतुष्ट करने पर कि कानून न्यायिक व्यक्ति या आरोपित व्यक्तियों के खिलाफ दायित्व डालता है या अपराध पैदा करता है, तभी प्रक्रिया जारी की जाएगी। में। उस चरण में न्यायालय चौकस और विवेकपूर्ण होगा

विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए और प्रक्रिया जारी करने से पहले सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि यह व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए प्रतिशोध के रूप में निजी शिकायत के हाथों में एक साधन बन जाए। न्याय की महानता की पुष्टि और समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखना आपराधिक न्याय के प्रमुख उद्देश्य हैं, लेकिन यह न्याय पाने का साधन नहीं होगा।

व्यक्तिगत प्रतिशोध लें। पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम विशेष।

न्यायिक मजिस्ट्रेट [पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम। विशेष न्यायिक

मजिस्ट्रेट, (1998) 5 एससीसी 749: 1998 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1400], एक दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि एक आपराधिक मामले में एक आरोपी को तलब करना एक गंभीर मामला है और आपराधिक कानून को निश्चित रूप से गति नहीं दी जा सकती है।

47. स्पष्ट कानूनी स्थिति को देखते हुए, महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि

निष्पक्ष रूप से कहा गया है कि मुंबई के एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में जिस एफ. आई. आर. की जांच की जा रही है, वह आपराधिक मानहानि के किसी भी कथित कार्य को शामिल नहीं करती है और न ही कर सकती है। हम अपनी अंतिम दिशाओं में इसे स्पष्ट करेंगे।

48. निष्कर्ष निकालने से पहले, इस न्यायालय के 24 अप्रैल 2020 के अंतरिम आदेश का विज्ञापन करना आवश्यक है। अंतरिम आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता को सीआरपीसी के तहत उपलब्ध उपायों का समर्थन करने के लिए सक्षम अदालत में जाने की स्वतंत्रता दी गई है। इसलिए, हम स्पष्ट करते हैं कि इस अदालत ने वर्तमान फैसले में उस प्राथमिकी पर कोई राय व्यक्त नहीं की है जिसकी मुंबई के एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में जांच चल रही है।

49. हम मानते हैं कि न्यायालय के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना अनुचित होगा। एन. एम. जोशी मार्ग अर्णब रंजन गोस्वामी बनाम में जांच के तहत 2020 की एफ. आई. आर. 164 को रद्द करना।

भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

मुंबई में पुलिस स्टेशन। इस दृष्टिकोण को अपनाने में, हम इस तथ्य से निर्देशित होते हैं कि नियंत्रण और संतुलन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए

याचिकाकर्ता के पास उच्च न्यायालय के समक्ष एक समान रूप से प्रभावी उपाय उपलब्ध है अदालत। हमें यह अभिनिर्धारित करने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए कि अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका विचारणीय नहीं है। लेकिन जब उच्च न्यायालय के पास इसके तहत शक्ति है

धारा 482, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रक्रिया को पारित करने का कोई कारण नहीं है, हम अनुच्छेद 32 के तहत इस याचिका पर विचार करने के लिए कोई असाधारण आधार या कारण नहीं देखते हैं। याचिका की विचारणीयता और उस पर विचार किया जाना चाहिए या नहीं, इसके बीच एक स्पष्ट अंतर है। इस तरह की स्थिति में, और ऊपर बताए गए कारणों से, यह न्यायालय मुंबई के एन. एम. जोशी पुलिस स्टेशन में जांच की जा रही प्राथमिकी को रद्द करने की राहत के लिए अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार नहीं करना चाहेगा, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है। इसलिए, हमारी राय है कि याचिकाकर्ता को उन उपायों का लाभ उठाने के लिए निर्वासित किया जाना चाहिए जो उच्च न्यायालय सहित सक्षम अदालत के समक्ष सीआरपीसी के तहत उपलब्ध हैं।

50. 24 अप्रैल 2020 के इस न्यायालय के आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह की अवधि के लिए दंडात्मक कदमों से संरक्षित किया गया था। द.

14 मई 2020 को समाप्त होने वाली अवधि को बढ़ा दिया गया था, जब इस न्यायालय के निर्णय को लंबित रखते हुए 11 मई 2020 को निर्णय सुरक्षित रखा गया था। हम उस सुरक्षा को तीन सप्ताह की और अवधि के लिए बढ़ाने के लिए इच्छुक हैं, विशेष रूप से कोविड-19 के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए, ताकि याचिकाकर्ता को सक्षम मंच के समक्ष अपने उपचार को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय दिया जा सके।

51. जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, याचिकाकर्ता के खिलाफ कई राज्यों और केंद्र में कई प्राथमिकियां और शिकायतें दर्ज की गई हैं

जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र। 24 अप्रैल 2020 के इस न्यायालय के अंतरिम आदेश द्वारा, सभी शिकायतों और एफ. आई. आर. एस. के संबंध में आगे के कदम, जिला नागपुर शहर के पुलिस स्टेशन सदर में दर्ज एफ. आई. आर. की जांच को छोड़कर और रोक लगा दी गई थी। जिला नागपुर शहर के पुलिस स्टेशन सदर में दर्ज प्राथमिकी को एन. एम. जोशी मार्ग [2020] 8 एस. सी. आर. को स्थानांतरित कर दिया गया है।

मुंबई में पुलिस स्टेशन। हम श्री कपिल सिब्बल, विद्वान वरिष्ठ वकील के निवेदन में योग्यता पाते हैं कि आपराधिक न्याय के प्रशासन में निष्पक्षता अन्य सभी प्राथमिकियों (मुंबई में जांच के तहत एक को छोड़कर) को रद्द करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग की आवश्यकता होगी। हालाँकि, हम ऐसा केवल उन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए करते हैं जो इस न्यायालय द्वारा टी. टी. एंटनी में निर्धारित किए गए हैं। याचिकाकर्ता द्वारा आयोजित कार्यक्रम के एक ही प्रसारण से उत्पन्न कई एफ. आई. आर. एस. दाखिल करना प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसकी अनुमति नहीं है। हम स्पष्ट करते हैं कि उन प्राथमिकियों को रद्द करना मुंबई के एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन द्वारा जांच की जा रही प्राथमिकियों के गुण-दोष पर इस अदालत द्वारा किसी भी राय की अभिव्यक्ति के बराबर नहीं होगा।

40

52. हम बाद की रिट याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं पाते हैं

जो याचिकाकर्ता द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के संबंध में दायर की गई है

पायधोनी पुलिस स्टेशन (2020 की एफ. आई. आर. 137 दिनांक 2 मई 2020)। जिस आधार पर इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को पहली रिट याचिका में लागू किया गया था-विभिन्न राज्यों में कई प्राथमिकियां दर्ज करना-बाद की रिट याचिका (सी. आर. एल.) में अनुपस्थित है। 2020 की डायरी संख्या 11189। याचिकाकर्ता एफ. आई. आर. के संबंध में कानून के तहत अपने उपायों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगा। ऐसे उपचार के लिए किसी भी उपाय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

दिशा-निर्देश

1 लेखन याचिका (सीआरएल) 2020 की संख्या 130

53. प्रस्तावित संशोधनों की अनुमति है। ये संशोधन होंगे -

एक सप्ताह के भीतर किया जाए।

(i) जाँच को सी. बी. आई. को हस्तांतरित करने की प्रार्थना है -

अस्वीकार कर दिया;

((ii) इस न्यायालय का 24 अप्रैल 2020 का अंतरिम आदेश जिसके द्वारा

22 अप्रैल 2020 की 2020 की एफ. आई. आर. 238 को स्थानांतरित कर दिया गया था।

पुलिस थाना सदर, जिला नागपुर शहर से एन. एम. जोशी

अब 2020 के 164 के रूप में क्रमांकित किया गया है जिसकी जांच की जाएगी मुंबई में एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन द्वारा;

(iii) हम एफ. आई. आर. 164 को रद्द करने की प्रार्थना पर विचार करने से इनकार करते हैं।

2020 (इससे पहले 2020 की एफ. आई. आर. 238) के अनुच्छेद 32 के तहत

संविधान। याचिकाकर्ता आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगा।

40 रिट याचिका 1 से पहले सी. आर. पी. सी. के तहत कानून में 185 87 के रूप में सी. आर. वाई. एस. 47 ज़िलेबल।)

डायरी रंजन गोस्वामी बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

सक्षम मंच। ऐसे किसी भी आवेदन पर सक्षम न्यायालय द्वारा अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

जांच पड़ताल की। इसलिए, इन कार्यवाहियों में उक्त प्रावधान की वैधता के लिए संवैधानिक चुनौती से निपटने के लिए प्रार्थना को संबोधित करना आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित एफ. आई. आर./शिकायतों को टी. टी. एंटनी (बाद में समझाया गया) में इस अदालत के फैसले के बाद रद्द कर दिया गया है कि लगातार एफ. आई. आर./शिकायतें एक ही कारण पर आधारित हैं।

कार्रवाई बनाए रखने योग्य नहीं है:

" . भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए, 295-ए और 505 (2) के तहत पुलिस स्टेशन सुपेला, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में 22 अप्रैल 2020 की प्राथमिकी संख्या 245 दर्ज की गई।

1860 .

• 23 अप्रैल 2020 की 2020 की एफ. आई. आर. संख्या 180, पुलिस स्टेशन भीलाल नगर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में दर्ज की गई।

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 153-ए, 188,290 और 505 (1) के तहत।

• 2020 की एफ. आई. आर. सं. 176, दिनांक 22 अप्रैल 2020, में दर्ज की गई

पुलिस थाना सिविल लाइन्स, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़,

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 153-ए, 295-ए और 505 (2) के तहत।

जिला कांग्रेस द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 2020 की शिकायत

• समिति-अंतग्रह, कांकेर, छत्तीसगढ़।

दुर्ग जिला कांग्रेस समिति के प्रीतम देशमुख (अधिवक्ता) द्वारा 22 अप्रैल 2020 को एस. एच. ओ. शहर पी. एस. दुर्ग को शिकायत,

छत्तीसगढ़।

● भारतीय युवा कांग्रेस के राज्य उपाध्यक्ष सूरज सिंह ठाकुर द्वारा 22 अप्रैल 2020 को वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, पराग नगर, घाटकोपर पूर्व, मुंबई को शिकायत। • शिकायत दिनांक 22 अप्रैल 2020-पंकज प्रजापति (कांग्रेस के पार्टी कार्यकर्ता और पूर्व प्रवक्ता एनएसयूआई) वकील [2020] 8 एस. सी. आर. के माध्यम से।

पूर्ववर्ती न्यायालय की रिपोर्ट

अंशुमन श्रीवास्तव-पुलिस अधीक्षक, अपराध

शाखा, इंदौर, मध्य प्रदेश।

22 अप्रैल 2020 की शिकायत-बलराम जाखड़ (अधिवक्ता)-जयपुर में पीएस श्याम नगर-यू/एस 153,188,505,120 बी को।

• जसवंत गुजर की शिकायत-एस. एच. ओ. बजाज नगर पी. एस. को,

जयपुर। 22 अप्रैल 2020 को फुंडुरदिहारी, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ द्वारा शिकायत-राजेश दुबे, छत्तीसगढ़

अम्बिकापुर-यू/एस 153,153 ए, 153 बी, 504,505। तेलंगाना युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव द्वारा तेलंगाना में 22 अप्रैल 2020 को एस. एच. ओ. हुसैनी आलम को धारा 117,120 बी, 153,153 ए, 295 ए के तहत शिकायत,

298 , 500 , 504 , 505 और 506। आईटी अधिनियम का 66 ए भी।

अनुज मिश्रा द्वारा 23 अप्रैल 2020 की शिकायत

कोटवाली, उरई, तुलसी नगर। • कुमार राजा, उपाध्यक्ष, युवा कांग्रेस, झारखंड कांग्रेस समिति द्वारा 22 अप्रैल 2020 को कोटवाली के समक्ष शिकायत

पुलिस थाना, ऊपरी बाजार, रांची।

मध्य प्रदेश के युवाओं द्वारा 22 अप्रैल 2020 की शिकायत

कांग्रेस "।

उपरोक्त (v) में सूचीबद्ध एफ. आई. आर. और शिकायतों को रद्द करना इस न्यायालय द्वारा मुंबई के एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन द्वारा जांच की जा रही एफ. आई. आर. के गुण-दोष पर किसी भी तरह की राय व्यक्त करने के बराबर नहीं होगा। आर भारत पर याचिकाकर्ता द्वारा 21 अप्रैल 2020 को प्रसारण से उत्पन्न कार्रवाई के उसी कारण के संबंध में कोई अन्य प्राथमिकी या, जैसा भी मामला हो, किसी अन्य मंच पर शिकायत शुरू नहीं की जाएगी या उसका पीछा नहीं किया जाएगा। उपरोक्त (v) में निर्दिष्ट प्राथमिकियों या शिकायतों के अलावा, 21 अप्रैल 2020 को प्रसारण से उत्पन्न कार्रवाई के समान कारण के संबंध में कोई अन्य प्राथमिकियां या शिकायतें भी विचारणीय नहीं मानी जाती हैं; और अर्णब रंजन गोस्वामी v.

भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

(viii) शिकायतकर्ताओं को निर्देश के लिए इस न्यायालय का रुख करने की स्वतंत्रता।

यदि ऐसा करना आवश्यक हो।

2 2020 की रिट याचिका (सी. आर. एल.) डायरी संख्या 11189

54. रिट याचिका को याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार उपलब्ध उपायों को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया जाता है।

3 (i) याचिकाकर्ता को 24 अप्रैल 2020 को 2020 की रिट याचिका (सी. आर. एल.) डायरी संख्या 11006 में दंडात्मक कदमों के खिलाफ दिए गए संरक्षण को इस फैसले की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है ताकि याचिकाकर्ता को आगे बढ़ने में सक्षम बनाया जा सके।

कानून में उपलब्ध उपचार;

((ii) सी. पी., मुंबई, याचिकाकर्ता के आवास और मुंबई में व्यावसायिक प्रतिष्ठान में सुरक्षा के प्रावधान के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध पर कानून के अनुसार विचार करेगा। खतरे की धारणा के आधार पर, पुलिस सुरक्षा प्रदान की जा सकती है यदि इसे उचित माना जाता है और उस अवधि के लिए जिसके दौरान खतरे की धारणा बनी रहती है; और

(iii)

वर्तमान निर्णय में कुछ भी निहित नहीं होगा

एफ. आई. आर. एस. में निहित आरोपों के गुण-दोष पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है।

55. 2020 की रिट याचिका (सी. आर. एल.) संख्या 130 का निपटारा कर दिया जाएगा। लेखन याचिका (सीआरएल) 2020 की डायरी संख्या 11189 को खारिज कर दिया जाएगा।

स्वतंत्रता जो उपरोक्त खंड में दी गई है। राज्य सरकार द्वारा दायर 2020 का आई. ए. 48588 खारिज कर दिया गया है, जिससे यह राज्य सरकार के लिए खुला रह गया है।

जाँच एजेंसी सक्षम अदालत के समक्ष अपनी दलीलें प्रस्तुत करने का आग्रह करे। उपरोक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अन्य सभी अंतरिम आवेदनों का निपटारा किया जाता है।

56. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

लिखित

याचिकाओं का निपटारा किया गया।

कल्पना के. त्रिपाठी

42020 का 1 डब्ल्यू. पी. (सी. आर. एल.) संख्या 130